

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च 2013—चैत्र 1, शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2013

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2013

क्र. ई.-5-739-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री हीरालाल त्रिवेदी, आय.ए.एस., तत्कालीन प्रमुख राजस्व आयुक्त एवं नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश को दिनांक 19 से 25 फरवरी 2013 तक सात दिन का लघुकृत अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री हीरालाल त्रिवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हीरालाल त्रिवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-1-62-2013-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 मार्च 2013 के पद 2 के अनुक्रम में श्री अशोक कुमार शाह, भा. प्र. से. (1990), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विनोद सिंह बघेल, भा. प्र. से. (1997), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग, केवल विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग के कार्यभार से मुक्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2013

क्र. एफ-10-63-2001-सत्रह-मेडि-2.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 22 जून 2011 में संशोधन करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा निम्नानुसार पुनर्नीक्षित टीम को समक्ष प्राधिकारी नियुक्त करता है:—

1. डॉ. संजय गोयल, संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल. —अध्यक्ष
2. श्रीमती सरला माथुर, अध्यक्ष, ऑल इण्डिया वूमैन्स कांफ्रेंस, भोपाल. —सदस्य
3. अतिरिक्त सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मध्यप्रदेश. —सदस्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण कुमार तोमर, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2013

क्र. एफ-1(ए) 92-2001-ब-2-दो.—(1) श्री जी. पी. उईके, भापुसे., पुलिस महानिरीक्षक, (मुख्यालय), अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 22 से 27 दिसम्बर 2012 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री जी. पी. उईके, भापुसे. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है यदि कि श्री जी. पी. उईके, भापुसे., उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए) 108-1986-ब-2-दो.—(1) श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे., अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, रेल, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 18 से 22 फरवरी 2013 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे., की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री एम. एस. शर्मा, भापुसे., पुलिस महानिरीक्षक,

रेल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थापनापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, रेल, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे., द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे., उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए) 210-1996-ब-2-दो.—(1) श्री ए. साई मनोहर, भापुसे., उप पुलिस महानिरीक्षक, सीबीआई 5-बी सीजीओ काम्पलेक्स, नई दिल्ली को दिनांक 13 से 24 दिसम्बर 2012 तक, बारह दिवस अर्जित की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री ए. साई मनोहर, भापुसे., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. साई मनोहर, भापुसे., उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2013

क्र. एफ-1(ए) 48-2003-ब-2-दो.—(1) श्री जगत सिंह संस्वाल, भापुसे., उप पुलिस महानिरीक्षक, होशंगाबाद रेंज होशंगाबाद को दिनांक 13 से 22 अप्रैल 2013 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2010-13 के अन्तर्गत सपत्नीक श्रीनगर (जम्मू कश्मीर) की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

1. श्री जगत सिंह — स्वयं
2. श्रीमती रेणुका सिंह — पत्नी

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री जगत सिंह संस्वाल, भापुसे., को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे।

(3) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री आई. पी. अरजरिया, भापुसे., पुलिस अधीक्षक, होशंगाबाद द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(4) अवकाश से लौटने पर श्री जगत सिंह संस्वाल, भापुसे., को स्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, होशंगाबाद रेंज होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) श्री जगत सिंह संस्वाल, भापुसे., द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक, होशंगाबाद रेंज होशंगाबाद का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(6) अवकाशकाल में श्री जगत सिंह संस्वाल, भापुसे., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जगत सिंह संस्वाल, भापुसे., अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2013

क्र. एफ-1(ए) 36-1991-ब-2-दो.—(1) श्री यू. आर. नेताम, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, नारकोटिक्स, इन्दौर को दिनांक 11 से 15 मार्च 2013 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 9, 10, 16 एवं 17 मार्च 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर यात्रा के बदले में उत्तर पूर्वी राज्यों की अवकाश यात्रा की पात्रता के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ "इम्फाल एवं शिलांग की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

1. श्री यू. आर. नेताम — स्वयं
2. श्रीमती रंजना नेताम — पत्नी
3. श्री अभिषेक नेताम — पुत्र

(2) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री पी. के. रून्वाल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स, इन्दौर द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री यू. आर. नेताम, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, नारकोटिक्स, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री यू. आर. नेताम, भापुसे, द्वारा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, नारकोटिक्स, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री यू. आर. नेताम, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यू. आर. नेताम, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. एफ-1-17-2013-ब-2-दो.—(1) श्री हरिसिंह यादव, भापुसे. (1998), उप पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर रेंज, ग्वालियर द्वारा अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं) नियमावली, 1958 के अन्तर्गत राज्य शासन को, दिनांक 30 जनवरी 2013 को नोटिस भेजकर, दिनांक 30 अप्रैल 2013 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही गई है.

(2) अतः, राज्य शासन, एतद्वारा अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं) नियमावली, 1958 के नियम 16(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत श्री हरिसिंह यादव, भापुसे (1998) को, भारतीय पुलिस सेवा से दिनांक 30 अप्रैल 2013 (अपराह्न) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की स्वीकृति प्रदान करता है.

(3) तदनुसार श्री हरिसिंह यादव, भापुसे. (1998), भारतीय पुलिस सेवा से दिनांक 30 अप्रैल 2013 (अपराह्न) से स्वैच्छिक आधार पर सेवानिवृत्त होंगे.

क्र. 1(ए) 92-2001-ब-2-दो.—(1) राज्य शासन द्वारा श्री जी.पी. उईके, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 28 जनवरी 2013 से 2 फरवरी 2013 तक, कुल छः दिवस का लघुकृत अवकाश दिनांक 3 फरवरी 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से छः दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री जी.पी. उईके, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इन्द्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8/11 मार्च 2013

फा. क्र. 3(ए) 3-2013-इक्कीस-ब(एक).—मध्यप्रदेश शासन, उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा फास्टट्रैक न्यायालयों के

निम्नलिखित पीठासीन अधिकारियों को उनके वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के Substantive Cadre में दिनांक 31 मार्च 2013 को अपराह्न से प्रत्यावर्तित (Reversion) करता है:—

1. श्री बद्री प्रसाद मरकाम, प्रथम ए.डी.जे. के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश एवं पीठासीन अधिकारी, फास्टट्रैक न्यायालय, बालाघाट.
2. श्री भैया लाल वर्मा, ए.डी.जे. न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं पीठासीन अधिकारी, फास्टट्रैक न्यायालय, नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़.
3. श्रीमती ललिता धुर्वे, तृतीय ए.डी.जे. एवं पीठासीन अधिकारी, फास्टट्रैक न्यायालय, सिवनी,
4. श्री नरेन्द्र कुमार जैन, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (ए.डी.जे. एवं पीठासीन अधिकारी, फास्टट्रैक न्यायालय), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. श्री विवेक कुमार गुप्ता, ए.डी.जे. एवं पीठासीन अधिकारी, फास्टट्रैक न्यायालय, सबलगढ़, जिला मुरैना.

भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2013

फा. क्र. 17(ई)08-2013-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री मोहन पी. तिवारी, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा की सेवाएं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बेंच भोपाल में रजिस्ट्रार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली को सौंपता है.

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2013

फा. क्र. 1(अ)3-03-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर में कार्यरत श्री प्रमोद पचौरी, उप शासकीय अधिवक्ता को शासकीय अधिवक्ता के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए एतद्वारा नियुक्त करता है.

फा. क्र. 3(ए)1-2013-इक्कीस-ब(एक).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन, एतद्वारा निम्नलिखित सिविल न्यायाधीशगण (वरिष्ठ श्रेणी), को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवाशर्तें) नियम, 1994 यथासंशोधित नियम 5(1)(ए) के अन्तर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक,

जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर), वेतनमान रुपये 51550—1230—58930—1380—63070, के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करता है:—

1. श्री बद्री प्रसाद मरकाम, प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, पीठासीन अधिकारी, फास्टट्रैक न्यायालय, बालाघाट,
2. श्री विवेक कुमार गुप्ता, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, पीठासीन अधिकारी, फास्टट्रैक न्यायालय, सबलगढ़, जिला मुरैना,
3. श्री इकबाल खान गौरी, सत्रहवें सिविल जज वर्ग-1, इन्दौर,
4. श्री नथू सिंह डावर, प्रथम सिविल जज वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरैना,
5. श्री महेन्द्र सिंह तोमर, प्रथम सिविल जज वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीधी,
6. श्री नारायण सिंह लावरिया, सिविल जज वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तराना जिला उज्जैन,
7. श्री लालाराम मीणा, सिविल जज वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौहरगंज, जिला रायसेन,
8. श्री देवराव गुजरकर, प्रथम सिविल जज वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छिन्दवाड़ा,
9. श्री रामगोपाल सिंह, प्रथम सिविल जज वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, विदिशा,
10. श्री प्रयाग लाल दिनकर, सिविल जज वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अनूपपुर,
11. श्री राजाराम बड़ोदिया, प्रथम सिविल जज वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिण्ड,
12. श्रीमती उषा गेडाम, प्रथम सिविल जज वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वानी,
13. श्री भारत सिंह रावत, सिविल जज वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारपुर जिला धार,
14. श्रीमती प्रवीणा व्यास, प्रथम सिविल जज वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम,
15. श्रीमती शशिकांता वैश्य, प्रथम सिविल जज वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर,
16. श्रीमती ज्योति विनोदिया वर्मा, प्रथम सिविल जज वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अशोकनगर,

17. श्री रमेश प्रसाद ठाकुर, प्रथम सिविल जज वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुना,
 18. श्री रामप्रसाद सोनकर, प्रथम सिविल जज वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल,
 19. श्री कालूसिंह बरैया, प्रथम सिविल जज वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीराजपुर,
 20. श्री चन्द्रप्रकाश वर्मा, प्रथम सिविल जज वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उमरिया,
 21. श्रीमती गीता सोलंकी, द्वितीय सिविल जज वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झाबुआ,
 22. श्री दगडू सिंह चौहान, प्रथम सिविल जज वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायसेन,
 23. श्री नारायण सिंह मीणा, सिविल जज वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भांडेर जिला दतिया,
 24. श्रीमती कृष्णा परस्ते, प्रथम सिविल जज वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिवनी,
 25. श्री शेख सलीम, प्रथम सिविल जज वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मण्डला,
 26. श्री मनोज कुमार मण्डलोई, प्रथम सिविल जज वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाजापुर,
 27. श्री शरत चन्द्र सक्सेना, प्रथम सिविल जज वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन,
 28. श्री प्रियदर्शन शर्मा, प्रथम सिविल जज वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्दौर,
 29. श्री कैलाशचन्द्र यादव, प्रथम सिविल जज वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल,
 30. श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल, प्रथम सिविल जज वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, होशंगाबाद,
 31. श्री अश्वाक अहमद खान, प्रथम सिविल जज वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुरहानपुर,
 32. श्री सुनील कुमार जैन (जूनियर) प्रथम सिविल जज वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर,
 33. श्री अशोक कुमार शर्मा (जूनियर-1) प्रथम सिविल जज वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खरगौन जिला मण्डलेश्वर,
 34. श्री संजय कुमार चतुर्वेदी, प्रथम सिविल जज वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ग्वालियर,
 35. श्री संजीव जैन, प्रथम सिविल जज वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्योपुर,
 36. श्री राजेन्द्र कुमार दशोरा, प्रथम सिविल जज वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खण्डवा,
 37. श्री मोहम्मद मूसा खान, तृतीय सिविल जज वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर,
 38. श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा, प्रथम सिविल जज वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छतरपुर,
 39. श्री प्रशांत कुमार निगम, प्रथम सिविल जज वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीहोर,
 40. श्री रमेश चन्द्र चौरसिया, प्रथम सिविल जज वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा,
 41. श्री प्रमोद कुमार, प्रथम सिविल जज वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शहडोल,
 42. श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर, चतुर्थ सिविल जज वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ग्वालियर,
 43. श्री शमरोज खान, प्रथम सिविल जज वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़,
 44. श्री ओमप्रकाश सिंह रघुवंशी (सीनियर) प्रथम सिविल जज वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच.
- नोट.—क्र. 2 श्री विवेक कुमार गुप्ता के संबंध में यह आदेश दिनांक 20 अप्रैल 2013 से प्रभावी होगा.
- मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2013

क्र. डी.-15-2013-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्य भारत, उद्योग तथा व्यापार विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक 6090-13-सी-430153, ग्वालियर, दिनांक 9 जनवरी 1956 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी समिति, महिदपुर के मण्डी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना,

अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप मण्डी प्रांगण घोषित करती है:—

dated 9th January 1956 shall be sub market yard namely:—

स्थान		
ग्राम पंचायत खेड़ाखजुरिया, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 2.78 हेक्टर भूमि का क्षेत्र:—		
क्र. (1)	खसरा क्रमांक (2)	क्षेत्रफल (हेक्टर में) (3)
1	874	2.02
2	875	0.40
3	876	0.36
योग . .		<u>2.78</u>

PLACE

An area of 2.78 hectares land of bellow Mentioned Khasra number at Gram Panchayat Kheda Khajuriya in Tehsil Mahidpur of District Ujjain.

S. No. (1)	Khasra No. (2)	Area (In Hectors) (3)
1	874	2.02
2	875	0.40
3	876	0.36
Total . .		<u>2.78</u>

जिसकी सीमाएं

BOUNDED BY

उत्तर में—आम रास्ता.

On the North by—Public Road.

दक्षिण में—कृषक श्री सज्जन सिंह की कृषि भूमि.

On the South by—Agriculture Land of Farmer Shri Sajjan Singh.

पूर्व में—जगोटी रोड.

On the East by—Jagoti Road.

पश्चिम में—शासकीय चरनोई भूमि.

On the West by—Government Charagah Land.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2013

भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2013

क्र. डी.-15-2013-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11 मार्च 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

क्र. डी.-15-2013-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्य भारत, एतद्द्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11 मार्च 2013 के द्वारा घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मण्डी समिति, महिदपुर, जिला उज्जैन के निम्नलिखित क्षेत्र को उप मण्डी क्षेत्र घोषित करती है:—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal, the 11th March 2013

क्षेत्र

No. D-15-2013-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declare the following areas including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Tahsil Mahidpur has been established vide Commerce and Industries Department's Notification 6090-13-c-430153 Gwalior,

(1) ग्राम पंचायत खेड़ाखजुरिया, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.

(2) उप मण्डी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:—

- (1) मादुपुरा, (2) इटावा, (3) डोंगला, (4) कानाखेडीहरवंश, (5) महूड़ीपुरा, (6) महूडी, (7) कीटिया, (8) कालापील, (9) जेल्याखेडी, (10) रामसरा,

- (11) राघवी, (12) आक्याजस्सा, (13) जोडमावीरभान,
 (14) मुडलीदोत्रू, (15) बालरा, (16) शक्करखेड़ी,
 (17) भंवरसी, (18) आलाखेड़ा, (19) मारूखेड़ा,
 (20) पाडीखेडा, (21) पिपल्यानाथ, (22) मुंडलीभोज,
 (23) धनोडिया, (24) लाखाखेड़ी, (25) जवासियापंथ.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2013

क्र. डी.-15-2013-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11 मार्च 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal, the 11th March 2013

No. D-15-2013-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declare that in the relation to the market yard vide this Department Notification even number dated 11th March 2013 the following area of Tahsil Mahidpur of District Ujjain shall be sub-market area namely:—

AREA

(1) An area within the limit of Gram Panchayat Khedakhajuriya in Tehsil Mahidpur of District Ujjain.

(2) An area comprising of the following Villages within the radius of 5 Kilometers from the sub-market yard namely:—

- (1) Madupura, (2) Itawa, (3) Dongla, (4) Kanakhedi-harvansh, (5) Mahudipura, (6) Mahudi, (7) Keetiya, (8) Kalapipal, (9) Jelyakhedi, (10) Ramsara, (11) Raghavi, (12) Akyarjassa, (13) Jodmaveerbhan, (14) Mudlidotru, (15) Balra, (16) Shakkarkhedi, (17) Bhanvrasi, (18) Alakheda, (19) Marukheda, (20) Padikheda, (21) Piptyanath, (22) Mundlibhoj, (23) Dhanodiya, (24) Lahkakhedi, (25) Jawasiyapanth.

By order and in the name of the Governor of
 Madhya Pradesh,
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

(उच्च शिक्षा कोष का गठन)

भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2013

क्र. एफ-23-6-2012-अड़तीस-2-शुद्धि-पत्र.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-23-6-2012-अड़तीस-2, दिनांक 20 फरवरी 2013 (उच्च शिक्षा कोष का गठन) स्थापना एवं संचालन नियम, 2012 का प्रकाशन “मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण”, क्रमांक 77, दिनांक 20 फरवरी 2013 के पेज क्रमांक 154(1) में पैरा क्रमांक 5 के बिन्दु क्रमांक 5 में कोष के संचालन हेतु क्रिया प्रकाशित हो गया है. जिसे संशोधन कर क्रिया के स्थान पर कोष के संचालन हेतु प्रक्रिया पढ़ा जाये.

भगवंती चांदवानी, अवर सचिव.

पर्यटन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2013

क्र. एफ-10-10-2010-तैंतीस.—मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2010 (संशोधित 2012) संदर्भ में राज्य पर्यटन परिषद् की बैठक दिनांक 17 सितम्बर 2012 में लिये गये निर्णय अनुसार राज्य शासन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2010 (संशोधित 2012) के तहत MICE (Meetings, Incentive, Conferencing, Exhibition) TOURISM पर पूंजीगत अनुदान पर निम्नानुसार अनुदान दिया जाये.

1. विषयान्तर्गत MICE (Meetings, Incentive, Conferencing, Exhibition) TOURISM के संबंध में पर्यटन नीति 2010 (यथा संशोधित-2012) की में लेख है कि:—

इस हेतु भोपाल, इन्दौर में प्राथमिकता आधार पर बड़े अर्थात् 1000 से अधिक क्षमता वाले एवं जबलपुर, ग्वालियर में माध्यम स्तर के अर्थात् 500 से अधिक क्षमता के कन्वेंशन सेंटर बनाए जायें. 500 अथवा उससे अधिक क्षमता वाले अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर का निर्माण करने पर निवेशक को पूंजीगत व्यय (जिसमें भूमि का मूल्य सम्मिलित नहीं है) का 25 प्रतिशत अनुदान अथवा रुपये 10.00 करोड़ जो भी न्यूनतम हो, देय होगा, अर्थात् पूंजीगत व्यय पर अनुदान की अधिकतम सीमा रुपये 10.00 करोड़ होगी.

2. पर्यटन विभाग के लैण्ड बैंक की भूमि पर उक्त कन्वेंशन सेंटर बनाये जाने पर ही छूट प्राप्त होगी.

3. प्रभावशीलता का दिनांक :—

“ऐसी परियोजना जिसका निर्माण अथवा संचालन पर्यटन नीति 2010 (यथा संशोधित 2012) के जारी होने के दिनांक 3 सितम्बर, 2012 के बाद प्रारंभ हुआ हो.”

4. पूंजीगत अनुदान हेतु आवेदन प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को प्रस्तुत करना होगा.

5. इस प्रकार के पूंजीगत अनुदान हेतु प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण निगम की निम्न समिति करेगी:—

1. मुख्य महाप्रबंधक, (विपणन एवं चालन)
2. मुख्य अभियंता
3. महाप्रबंधक (वित्त)
4. कम्पनी सचिव
5. संचालक (पर्यटन संवर्धन इकाई)

6. कार्यक्षेत्र—इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर के मास्टर प्लान क्षेत्रान्तर्गत.

7. इस प्रकार के पूंजीगत अनुदान हेतु मुख्य शीर्ष 37-3452 पर्यटन के अन्तर्गत एक नया लघु शीर्ष 37-3452/06 राज्य बजट में खोला गया है.

क्र. एफ-10-10-2010-तैंतीस.—मध्यप्रदेश, पर्यटन नीति 2010 (संशोधित 2012) के संदर्भ में राज्य पर्यटन परिषद् की बैठक दिनांक 17 सितम्बर 2012 में लिये गये निर्णय अनुसार राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2010 (संशोधित 2012) के तहत होटल/रिसोर्ट पर पूंजीगत अनुदान पर निम्नानुसार अनुदान दिया जाये.

1. विषयान्तर्गत नीति में होटल/रिसोर्ट की परिभाषा पर्यटन नीति 2010 (यथा संशोधित-2012) में उल्लेखित है कि:—

प्रदेश के कुछ अति महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल में समुचित आवास व्यवस्था आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, ऐसे स्थलों को चिन्हित कर पर्यटन विभाग द्वारा निवेशकों को होटल/रिसोर्ट निर्माण करने हेतु आमंत्रित किए जाने की स्थिति में निवेशकों को पूंजीगत व्यय पर निम्नानुसार अनुदान दिया जावे.

राज्य शासन द्वारा इस प्रयोजन के लिये निम्नांकित पर्यटन स्थलों को उनके मास्टर प्लान क्षेत्रान्तर्गत यदि मास्टर प्लान लागू नहीं तो उनकी स्थानीय निकायों की सीमा के अन्तर्गत चिन्हित किया जाता है—

1. चन्देरी
2. माण्डू

3. बुरहानपुर

4. राज्य शासन द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार चिन्हित स्थान.

उपरोक्तानुसार उल्लेखित स्थानों में स्थापित होने वाले होटल/रिसोर्ट को देय पूंजीगत अनुदान निम्नानुसार होगा.

1. रुपये 03.00 करोड़ के व्यय पर 25 प्रतिशत, अधिकतम रु. 75.00 लाख.
2. रुपये 03.00 करोड़ से 05.00 करोड़ तक 20 प्रतिशत, न्यूनतम रु. 75.00 लाख से अधिकतम रु. 1.00 करोड़.
3. रुपये 05.00 करोड़ से अधिक व्यय पर 15 प्रतिशत, न्यूनतम रु. 1.00 करोड़ से अधिकतम रु. 1.50 करोड़.

2. पूंजीगत अनुदान प्राप्त करने हेतु होटल/रिसोर्ट की शर्तें:—

(1) **Hotels.**—Hotel projects should have facilities expected of the establishments in 1 to 5 star category according to the guidelines for hotels of the Department of Tourism, Govt. of India as applicable from time to time and also such hotel should obtain such category certificate from them. these units should have a minimum of 20 lettable rooms with attached bathrooms. A public toilet shall also be provided for the visitors. Room sizes and AC facilities and sizes for bathrooms should be as per norms prescribed by the Department of Tourism, Govt. of India for such hotles.

Tourist Resorts.—A Tourist Resort means a unit which has at least any eight of the following activities/facilities.

Accommodation with at least 10 or more lettable rooms; health Club facilities e.g. saunabath, Jacuzzi, steambath, gymnasium etc.; Water sports e.g. white water rafting, canoeing, kayaking, water skiing, yachting, windsurfing, rowing, paddle boating etc.; Swimming Pool; Aerosports e.g. power flying, a hand-gliding, para-gliding, para-sailing etc., Skiing; Ice-skating; Roller skating; Sports like Tennis, Table Tennis, Badminton, Billiards, Bowling Alley; Golf; Angling; Nature cure facilities e.g. Naturopathy, Yoga, Ayurvedic/Herbal cures; beauty Parlour including Barber Shops and massage facilities; Childre's corners including Creche, Park, Indoor Game and other recreational facilities; Landscaped Gardens and Orchards; Jogging tracks/ Nature trails; Convention/Conference facilities; Shopping Arcade; Well-stocked library including Video Library; Auditorium;

3. प्रभावशीलता का दिनांक :—“ऐसी परियोजना जिसका निर्माण अथवा संचालन पर्यटन नीति 2010 (संशोधित 2012) के जारी होने के दिनांक 3 सितम्बर, 2012 के बाद प्रारंभ हुआ हो.”

4. पूंजीगत अनुदान हेतु आवेदन प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को प्रस्तुत करना होगा।

5. इस प्रकार के पूंजीगत अनुदान हेतु प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण निगम की निम्न समिति करेगी:—

8. मुख्य महाप्रबंधक, (विपणन एवं चालन)
9. मुख्य अभियंता
10. महाप्रबंधक (वित्त)
11. कम्पनी सचिव
12. संचालक (पर्यटन संवर्धन इकाई)

13. इस प्रकार के पूंजीगत अनुदान हेतु मुख्य शीर्ष 37-3452 पर्यटन के अन्तर्गत एक नया लघु शीर्ष 37-3452/06 राज्य बजट में खोला गया है।

क्र. एफ-10-10-2010-तैंतीस.—मध्यप्रदेश, पर्यटन नीति 2010 (संशोधित 2012) के संदर्भ में राज्य पर्यटन परिषद् की बैठक दिनांक 17-09-2012 में लिये गये निर्णय अनुसार राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2010 (संशोधित 2012) के तहत बजट होटल पर पूंजीगत अनुदान पर निम्नानुसार अनुदान दिया जाये।

1. विषयान्तर्गत नीति में बजट होटल के संबंध में पर्यटन नीति-2010 (यथा संशोधित 2012) की कंडिण्का 5 "स" में लेख है कि.—

प्रदेश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन गन्तव्य स्थल में बजट होटल का निर्माण करने पर निवेशक को निम्नानुसार अनुदान दिया जावे :—

स. 1 विभाग के लैण्ड बैंक पर निर्माण की स्थिति में.—पूंजीगत व्यय पर 10 प्रतिशत का अनुदान अथवा रुपये 50.00 लाख जो भी न्यूनतम हो अर्थात् व्यय पर अधिकतम सीमा रुपये 50.00 लाख होगी। विभागीय भूमि के अप-सेट मूल्य पर 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा। पूंजीगत अनुदान तथा विभागीय भूमि अपसेट मूल्य पर प्रदत्त अनुदान की अधिकतम कुल सीमा 50.00 लाख से अधिक नहीं होगी।

स. 2 निवेशक द्वारा स्वयं की भूमि पर होटल निर्माण की स्थिति में पूंजीगत व्यय पर 20 प्रतिशत का अनुदान अथवा रुपये 50.00 लाख जो भी न्यूनतम हो, देय होगा, अर्थात् पूंजीगत व्यय पर अधिकतम सीमा रुपये 50.00 लाख होगी। ऐसे मामलों में भूमि के मूल्य पर कोई अनुदान नहीं दिया जावेगा।

स. 3 बजट होटल के निर्माण में अनुदान/छूट की पात्रता तभी मान्य होगी जबकि होटल में कम-से-कम 50 अथवा उससे ऊपर कक्षों का निर्माण किया गया हो तथा कक्षों का किराया रुपये 1000/- प्रति कक्ष से अधिक न हो।

स. 4 डॉरमेट्री के निर्माण में अनुदान/छूट की पात्रता तभी मान्य होगी जबकि डॉरमेट्री में कम-से-कम 100 बिस्तर उपलब्ध हों तथा प्रति बिस्तर किराया रुपये 100/- से अधिक न हो।

स. 5 होटल कक्ष/डॉरमेट्री के उपरोक्त किराये में संचालन प्रारंभ होने की तिथि से 5 वर्ष तक कोई वृद्धि नहीं की जा सकेगी।

स.6 राज्य शासन समय-समय पर प्रमुख धार्मिक पर्यटन गन्तव्य स्थलों को अधिसूचित कर सकेगी।

2. पर्यटन विभाग द्वारा नीति के अन्तर्गत जिन स्थलों पर बजट होटल बनाये जाने हैं वे धार्मिक पर्यटन के स्थान निम्नानुसार हैं:—

1. अमरकंटक
2. महेश्वर,
3. उज्जैन
4. ओंकारेश्वर
5. चित्रकूट
6. ओरछा
7. मैहर
8. पन्ना
9. दतिया
10. मण्डला
11. मुलताई
12. सलकनपुर
13. मण्डलेश्वर
14. राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संबंधित अन्य स्थल.

3. प्रभावशीलता का दिनांक.—“ऐसी परियोजना जिसका निर्माण अथवा संचालन पर्यटन नीति 2010 (यथा संशोधित-2012) के जारी होने के दिनांक 03 सितम्बर, 2012 के बाद प्रारम्भ हुआ हो.”

4. पूंजीगत अनुदान हेतु आवेदन प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को प्रस्तुत करना होगा।

5. इस प्रकार के पूंजीगत अनुदान हेतु प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण निगम की निम्न समिति करेगी।

1. मुख्य महाप्रबंधक (विपणन एवं चालन)
2. मुख्य अभियंता

3. महाप्रबंधक (वित्त)
4. कंपनी सचिव
5. संचालक (पर्यटन संवर्धन इकाई)

6. उक्त स्थलों का कार्यक्षेत्र वहाँ का वर्तमान में प्रचलित मास्टर प्लान क्षेत्र लागू होगा. मास्टर प्लान लागू न होने की स्थिति में कार्यक्षेत्र उनके स्थानीय निकायों द्वारा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत रहेगा.

7. इस प्रकार के पूंजीगत अनुदान हेतु मुख्य शीर्ष 37-3452 पर्यटन के अन्तर्गत एक नया लघु शीर्ष 37-3452/06 राज्य बजट में खोला गया है.

क्र. एफ-10-10-2010-तैंतीस.—मध्यप्रदेश, पर्यटन नीति 2010 (संशोधित 2012) के संदर्भ में राज्य पर्यटन परिषद् की बैठक दिनांक 17-09-2012 में लिये गये निर्णय अनुसार राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2010 (संशोधित 2012) के तहत हेरिटेज होटल पर पूंजीगत अनुदान पर निम्नानुसार अनुदान दिया जाये.

1. विषयान्तर्गत नीति में हेरिटेज होटल की परिभाषा पर्यटन नीति-2010 (यथा संशोधित 2012) में निम्नानुसार दी गई है:—

Definition of Heritage Hotel shall be as follow:—

All those buildings, fort, havelis, Kothis and Castles that have been :—

- (i) Constructed before 1950
- (ii) The architectural features of the building should be maintained in harmony with the original architectural design.
- (iii) Immediate surroundings of the Heritage Hotel should be in consonance with the architectural features of the original building.
- (iv) Front elevation, architectural style and general construction practice should exemplify local cultural traditions and features.
- (v) Cuisine and catering services of the Heritage Hotel should be clean, hygienic and of good standards, and it should give the flavour and taste of local traditions, services, facilities and immediate surroundings of high quality and standards.

Shall qualify for being considered as a heritage hotel.

Any extention, improvement, renovation, change in the existing structures should be in keeping with the traditional architectural styles and constructional techniques harmonising the new with the old. After expansion/renovation, the newly buit-up area added should not exceed 50% of the total built-up (plinth) area including the old and new structures. For this purpose, facilities such as swimming pools, lawns, etc. will be excluded".

हेरिटेज होटल हेतु अनुदान दिये जाने के संबंध में नीति में निम्नानुसार प्रावधान वर्णित है :—

निजी स्वामित्व वाले भवनों को यदि भवन स्वामी अथवा अन्य निवेशक द्वारा हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर संचालित किया जाता है तो उसके द्वारा किये गये पूंजीगत व्यय का 25 प्रतिशत अनुदान (Subsidy) दिया जावे, जिसमें भूमि का मूल्य सम्मिलित नहीं है.

पूंजीगत व्यय का 25 प्रतिशत अनुदान अथवा रुपये 1.50 करोड़ जो भी न्यूनतम हो, देय होगा, अर्थात् पूंजीगत व्यय पर अनुदान की अधिकतम सीमा रुपये 1.50 करोड़ होगी.

अनुदान का भुगतान तभी किया जायेगा जब निवेशक द्वारा होटल के निर्माण के पश्चात् हेरिटेज होटल के रूप में संचालन का एक वर्ष पूर्ण कर लिया हो तथा होटल को HRACC (Hotel and Restaurants Approval and Classification Committee) द्वारा हेरिटेज होटल के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया हो. पूंजीगत व्यय का आंकलन राज्य पुरातत्व विभाग तथा पर्यटन निगम के अधिकारियों की एक समिति द्वारा किया जायेगा. समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित व्यय को ही अंतिम रूप से पूंजीगत व्यय मान्य किया जावेगा.

2. हेरिटेज सम्पत्ति के स्वामियों को पर्यटन विभाग द्वारा हेरिटेज पर्यटन के संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन निःशुल्क उपलब्ध कराया जावेगा. इस हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया गया है :—

1. मुख्य अभियंता (पर्यटन विकास निगम)
2. वास्तुविद् सलाहकार (पर्यटन विकास निगम)
3. उपसंचालक तकनीकी, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
4. कार्यपालन यंत्री, (पर्यटन विकास निगम) संबंधित संभाग.

3. प्रभावशीलता का दिनांक :—ऐसी परियोजना जिसका निर्माण अथवा संचालन पर्यटन नीति, 2010 (यथा संशोधित-2012) के जारी होने के दिनांक 3 सितम्बर, 2012 के बाद प्रारंभ हुआ हो.

4. पूंजीगत अनुदान हेतु आवेदन प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को प्रस्तुत करना होगा.

5. इस प्रकार के पूंजीगत अनुदान हेतु प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण निगम की निम्न समिति करेगी :—

1. मुख्य महाप्रबंधक, (विपणन एवं चालन)
2. मुख्य अभियंता
3. महाप्रबंधक (वित्त)

4. कम्पनी सचिव

5. संचालक (पर्यटन संवर्धन इकाई)

6. आयुक्त, राज्य पुरातत्व द्वारा नामित अधिकारी.

7. कार्यक्षेत्र—सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.

8. इस प्रकार के पूंजीगत अनुदान हेतु मुख्य शीर्ष 37-3452 पर्यटन के अन्तर्गत एक नया लघु शीर्ष 37-3452/06 राज्य बजट में खोला गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. बाजपेयी, अपर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2013

क्र. एफ-7-31-2012-बत्तीस.—संदर्भित ज्ञाप द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश के पुनरीक्षित नवीन सेटअप की स्वीकृति दी गयी है. उक्त स्वीकृति के अनुक्रम में राज्य शासन एतद्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश के मुख्यालय, अधीनस्थ कार्यालयों की स्थिति एवं उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

1. संचालनालय (मुख्यालय) तथा उसके अन्तर्गत स्थापित कार्यालयों का सेटअप—

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश के मुख्यालय तथा उसके अधीन स्थापित संयुक्त संचालक, उप संचालक तथा सहायक संचालक स्तर के कार्यालय के लिये पदों की संख्या परिशिष्ट “एक” अनुसार स्वीकृत की जाती है. स्वीकृत पदों के संबंध में ज्ञाप दिनांक 29 जनवरी 2013 की कण्डिका 4 लगायत 7 के निर्देश पूर्ववत् रहेंगे. भविष्य में जब भी कोई नया कार्यालय स्थापित/क्रियान्वयन किया जावेगा तो पद संख्या स्वीकृत पद संरचना अनुसार रहेगा.

2. कार्यालयों का उन्नयन—निम्नलिखित कार्यालयों का उन्नयन किया जाता है :—

- (i) उप संचालक, उज्जैन का कार्यालय संयुक्त संचालक स्तरीय.
- (ii) सहायक संचालक, छिन्दवाड़ा का कार्यालय उप संचालक स्तरीय.
- (iii) सहायक संचालक, रतलाम का कार्यालय उप संचालक स्तरीय.
- (iv) सहायक संचालक, होशंगाबाद का कार्यालय उप संचालक स्तरीय.

3. नवीन कार्यालयों की स्थापना,—संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के अधीन निम्नलिखित नवीन कार्यालय स्थापित करने की स्वीकृति दी जाती है :—

- (i) कार्यालय, उप संचालक, सिंगरौली.
- (ii) कार्यालय, सहायक संचालक, खरगौन.
- (iii) कार्यालय, सहायक संचालक, श्योपुर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार मालवीय, अवर सचिव.

परिशिष्ट-एक

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश की विभागीय संरचना

क्र.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत सेटअप अनुसार कुल पद	मुख्यालय का स्वीकृत पद संख्या	संयुक्त संचालक कार्यालय (भोपाल, इन्दौर) स्वीकृत पद संख्या	संयुक्त संचालक कार्यालय (जबलपुर, ग्वालियर) स्वीकृत पद संख्या	संयुक्त संचालक कार्यालय (सागर, रीवा, उज्जैन) स्वीकृत पद संख्या	उप संचालक कार्यालय (गुना, होशंगाबाद, रतलाम, देवास, नीमच, सिंगरौली, सतना, शहडोल, खण्डवा, छिन्दवाड़ा) स्वीकृत पद संख्या	सहायक संचालक कार्यालय (विदिशा, राजगढ़, झाबुआ, खरगौन, कटनी, मंडला, बैतूल, छतरपुर, अनूपपुर, श्यापुर, भिण्ड) स्वीकृत पद संख्या	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	आयुक्त सह-संचालक	Cader pay Spl. pay	1	1	-	-	-	-	-	
2	अपर संचालक	37400—67000+8700	2	2	-	-	-	-	-	
3	संयुक्त संचालक	15600—39100+7600	11	4	1	1	1	-	-	
4	उप संचालक (प्लानिंग)	15600—39100+6600	15	1	1	1	-	1	-	
5	उप संचालक (सर्वे)	15600—39100+6600	2	2	-	-	-	-	-	
6	उप संचालक (रिसर्च)	15600—39100+6600	1	1	-	-	-	-	-	
7	उप संचालक (स्था.)	15600—39100+6600	1	1	-	-	-	-	-	
8	सहा. संचालक (योजना)	15600—39100+5400	26	-	1	-	1	1	1	
9	सहा. संचालक (सर्वे/प्रो.)	15600—39100+5400	7	3	1	1	-	-	-	
10	सहा. संचालक (रिसर्च)	15600—39100+5400	5	3	-	1	-	-	-	
11	सहा. संचालक (स्था.)	15600—39100+5400	1	1	-	-	-	-	-	
12	लेखा अधिकारी (प्रति.नि.)	15600—39100+6600	1	1	-	-	-	-	-	
13	कनिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रति.नि.)	15600—39100+5400	1	1	-	-	-	-	-	
14	संपरीक्षक (आडीटर) (प्रति)	15600—39100+5400	1	1	-	-	-	-	-	
15	(प्रोग्रामर) सूचना प्रौद्योगिक अधिकारी	-	1*	1*	-	-	-	-	-	
16	सहायक सूचना प्रौद्योगिक अधिकारी	-	2*	2*	-	-	-	-	-	
17	मानचित्रकार	9300—34800+3200	45	6	3	3	2	1	1	
18	सहायक मानचित्रकार	5200—20200+2400	50	7	4	4	2	1	1	
19	अनुरेखक	5200—20200+1900	73	14	4	4	4	2	1	
20	उपयंत्री	9300—34800+3200	40	5	2	2	2	1	1	
21	वरिष्ठ भू-मापक	5200—20200+2400	21	4	1	1	1	1	-	
22	कनिष्ठ भू-मापक	5200—20200+1900	30	5	2	2	2	-	1	
23	वरिष्ठ रिसर्च सहायक	9300—34800+3600	13	6	1	1	1	-	-	
24	रिसर्च सहायक	9300—34800+3200	13	3	-	-	-	1	-	
25	अन्वेषक	5200—20200+2800	26	8	1	1	1	-	1	
26	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1 (स्टाफ आफिसर)	9300—34800+4200	2	2	-	-	-	-	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
27	स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 (निज सचिव)	9300—34800+3600	4	4	-	-	-	-	-	-	
28	स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 (निज सहायक)	5200—20200+2800	11	4	1	1	1	-	-	-	
29	स्टेनोग्राफिस्ट	5200—20200+1900	22	5	1	1	1	1	-	-	
30	अधीक्षक	9300—34800+3600	10	3	1	1	1	-	-	-	
31	सहा. अधीक्षक	9300—34800+3200	10	-	-	-	-	1	-	-	
32	सहायक ग्रेड-1	5200—20200+2800	25	2	-	-	1	2	-	-	
33	सहायक ग्रेड-2	5200—20200+2400	46	14	2	2	1	1	1	1	
34	सहायक ग्रेड-3	5200—20200+1900	66	10	2	2	2	2	2	2	
35	स्टोर कीपर	5200—20200+2100	10	3	1	1	1	-	-	-	
36	कोडर, केड आपरेटर, फोटोग्राफर मॉडलर, सहायक मॉडलर, कलाकार नीलमुद्रक के पद डाईंग केडर घोषित करते हुए उनके स्थान पर कम्प्यूटर आपरेटर के* नवीन पद	5200—20200+2800	41*	9*	2*	2*	1*	1*	1*	1*	1. कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति संविदा आधार पर होगी. 2. डाईंग केडर पदों पर कार्यरत वर्तमान कर्मचारियों के सेवानिवृत्त या अन्य कारणों से पद रिक्त होने के पश्चात् ही इन पदों के विरुद्ध कम्प्यूटर आपरेटर की संविदा आधार पर नियुक्ति होगी.
37	ग्रन्थपाल	5200—20200+2800	1	1	-	-	-	-	-	-	
38	दफ्तरी	4440—7440+1400	13	6	1	1	1	-	-	-	
39	वाहन चालक**		12+9	2+2	1	1*	1	1	-	-	
40	प्रेसमेन	4440—7440+1400	2	2	-	-	-	-	-	02 पद पर डाईंग केडर के.	
41	चौकीदार	4440—7440+1300	29	1	1	1	1	1	1	1	
42	भृत्य **	4440—7440+1300	57+ 41=98	21+6=27	3+2=5	3+2=5	1+2=3	1+1=2	1+1=2	1+1=2	
43	चैनमेन**	4440—7440+1300	28+ 6=34	3+3=6	1	1	1	1	1	1	
44	वाटर मेन	4440—7440+1300	1	1	-	-	-	-	-	01 पद पर डाईंग केडर	
45	स्वीपर	4440—7440+1300	1	1	-	-	-	-	-	01 पद पर डाईंग केडर	
योग . .			736+	165+	36+5=	36+5=	28+5=	20+2=	13+2=		
			100	23=	41×2=	41×2=	33×3=	22×10=	15×11=		
			=836	188	82	82	99	220	165		

* पूर्णतः संविदा नियुक्ति के पद.

** सेटअप में बढ़ाये गये एवं भविष्य में नियमित नियुक्ति के रिक्त होने वाले पद संविदा से भरे जाएंगे.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2013

एफ. क्र. 2-3-2010-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 27 मई 2011 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-3-2010-सात-6-692 (ए), दिनांक 4 मई 2011 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) के अधीन गठित की गई समस्त ग्राम सभाओं को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिताओं के भीतर निम्नलिखित शक्तियां प्रदान करती है, अर्थात्:—

- (1) उक्त संहिता की धारा 128 की उपधारा (2) के अधीन तहसीलदार की शक्तियां;
- (2) उक्त संहिता की धारा 130 के अधीन तहसीलदार की शक्तियां.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2013

क्र. एफ-2-3-2010-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-3-2010-सात-6, दिनांक 20 मार्च 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी, सचिव.

Bhopal, the 20th March 2013

F.No. 2-3-2010-Seven-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 24 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and in supersession of this department's Notification No. F-2-3-2010-VII-6-692-(A), dated 4th May 2011 published in Madhya Pradesh Gazette dated 27th May 2011, the State Government, hereby, confer the following powers upon all the Gram Sabhas constituted under the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), within their respective jurisdictions, namely:—

- (1) the powers of Tahildar under sub-section (2) of Section 128 of the said code;
- (2) the powers of Tahildar under Section 130 of the said code.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJIT KESARI, Secy.

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2013

एफ. क्र. 2-3-2010-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 27 मई 2011 में प्रकाशित इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 2-3-2010-सात-6-692-(बी), दिनांक 4 मई 2011 को विखंडित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2013

क्र. एफ-2-3-2010-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-3-2010-सात-6, दिनांक 20 मार्च 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी, सचिव.

Bhopal, the 20th March 2013

F.No. 2-3-2010-Seven-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 24 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, rescind this department's order No. F-2-3-2010-VII-6-692-(B), dated 4th May 2011 published in Madhya Pradesh Gazette dated 27th May 2011.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJIT KESARI, Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी
मध्यप्रदेश, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2013

क्र. 1584-478-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-तृतीय विद्युत संस्थापनाएँ (बि.पु.के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
-------------	---------------------------	--------------

भोपाल संभाग

1	श्री सुनील कुमार डेहरिया	उपयंत्री
---	--------------------------	----------

इन्दौर संभाग

2	कु. युक्ति अदलखा	उपयंत्री
---	------------------	----------

जबलपुर संभाग

3	कु. अनी शर्मा	उपयंत्री
---	---------------	----------

उज्जैन संभाग

4	श्री सरोज बाबु वंजारी	उपयंत्री
---	-----------------------	----------

5	श्री लक्ष्मी नारायण मानमोड़े	उपयंत्री.
---	------------------------------	-----------

क्र. 1586-480-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-प्रथम विद्युत संबंधी विधियां (बि.पु.के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
-------------	---------------------------	--------------

भोपाल संभाग

1	कु. दीपिका सावनेर	उपयंत्री
2	श्री अमित कुमार गौर	उपयंत्री
3	कु. नेहा कौशल	उपयंत्री
4	श्री राहुल मिश्रा	उपयंत्री

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

इन्दौर संभाग

5	कु. युक्ति अदलखा	उपयंत्री
---	------------------	----------

होशंगाबाद संभाग

6	श्री अतुल जैन	उपयंत्री
---	---------------	----------

7	श्री नौशाद अहमद	उपयंत्री
---	-----------------	----------

उज्जैन संभाग

8	श्री लक्ष्मी नारायण मानमोड़े	उपयंत्री
---	------------------------------	----------

9	श्री गिरीश कुमार माथनकर	उपयंत्री
---	-------------------------	----------

जबलपुर संभाग

10	श्रीमती ज्योति यादव	उपयंत्री
----	---------------------	----------

11	कु. अनी शर्मा	उपयंत्री
----	---------------	----------

रीवा संभाग

12	श्री नवीन कुमार त्रिपाठी	उपयंत्री.
----	--------------------------	-----------

क्र. 1588-483-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित-टिप्पणी रहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
-------------	---------------------------	--------------

उच्चस्तर भोपाल संभाग

1	कु. मधुलिका सिंह	उप पंजीयक (सश्रेय)
---	------------------	--------------------

2	श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव	उप पंजीयक (सश्रेय)
---	---------------------------	--------------------

3	श्री सुनील चतुर्वेदी	उप पंजीयक
---	----------------------	-----------

4	श्री राकेश वर्मा	पंजीयन लिपिक
---	------------------	--------------

5	श्री अशोक सिंह परिहार	उप पंजीयक
---	-----------------------	-----------

6	श्री पुरुषोत्तम लेखवानी	उप पंजीयक
---	-------------------------	-----------

इन्दौर संभाग

7	श्री बायसिया निगंवाल	उप पंजीयक
---	----------------------	-----------

8	कु. मुक्ता सिसोदिया	उप पंजीयक
---	---------------------	-----------

9	श्री सुरेन्द्र सिंह	उप पंजीयक (सश्रेय)
---	---------------------	--------------------

10	श्री संजय चौखे	उप पंजीयक (सश्रेय)
----	----------------	--------------------

(1)	(2)	(3)
11	श्री दीपक कुमार शर्मा	जिला पंजीयक (सश्रेय)
12	श्री महेन्द्र सिंह कौरव	उप पंजीयक (सश्रेय)
13	श्री राजीव त्यागी	उप पंजीयक
14	श्री संदीप सिंह गौर	उप पंजीयक (सश्रेय)

जबलपुर संभाग

15	श्री परमानन्द मेश्राम	उप पंजीयक
16	श्री आर. बी. सिंह	उप पंजीयक (सश्रेय)

रीवा संभाग

17	कु. अनिता रैदास	उप पंजीयक
18	कु. निष्ठा पाण्डेय	उप पंजीयक

निम्नस्तर**जबलपुर संभाग**

1	कु. तनु प्रिया कुशवाहा	उप पंजीयक
2	श्री विजय कुमार मेश्राम	पंजीयन लिपिक.

क्र. 1590-448-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 15 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-“हिन्दी” विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उज्जैन संभाग

1	श्री आलोक कुमार शर्मा	उप पुलिस अधीक्षक
---	-----------------------	------------------

रीवा संभाग

2	श्री अम्बिका प्रसाद पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
3	श्री बंशराखन सिंह	राजस्व निरीक्षक
4	श्री गया प्रसाद मिश्र	राजस्व निरीक्षक
5	श्री नारायण सिंह	राजस्व निरीक्षक

शहडोल संभाग

6	श्री सूर्यकान्त मिश्रा	वन क्षेत्रपाल
7	श्री मोहन दास मानिकपुरी	वन क्षेत्रपाल

जबलपुर संभाग

8	कु. वर्षा झारिया	नायब तहसीलदार
9	कु. आकांशा चौरसिया	नायब तहसीलदार.

क्र. 1592-495-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 11 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-प्रथम लेखा (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर**भोपाल संभाग**

1	श्री आर. एस. सोलंकी	सहायक संचालक, कृषि
---	---------------------	--------------------

सागर संभाग

2	श्री जितेन्द्र सिंह राजपूत	सहायक संचालक, कृषि
3	श्री सुरजू लाल इवने	सहायक संचालक, कृषि.

क्र. 1594-464-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 11 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-द्वितीय लेखा (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर**सागर संभाग**

1	श्री सुरजू लाल इवने	सहायक संचालक, कृषि.
---	---------------------	---------------------

क्र. 1596-488-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-प्रथम प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग-ए (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर**भोपाल संभाग**

1	कु. सपना खर्ते	सहायक संचालक (सश्रेय)
2	श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव	सहायक संचालक (सश्रेय).

क्र. 1600-449-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 9 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

**उच्चस्तर
भोपाल संभाग**

1	सुश्री माया गढवाल	शिक्षक
---	-------------------	--------

रीवा संभाग

2	श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता	अधीक्षक सम्प्रेषण गृह
3	श्री अजय कुमार भुंजिया	मेट्रन

**निम्नस्तर
इंदौर संभाग**

1	श्री सोमेन्द्र सिंह गेहलोत	शिक्षक, दृष्टि बाधितार्थ
2	श्रीमती मृदुला चौहान	विशेष शिक्षिका (श्रवण बाधितार्थ).
3	श्री धमेन्द्र गांगले	अधीक्षक
4	श्री प्रभात कुमार तिवारी	शिक्षक (श्रवण बाधितार्थ)
5	श्री बालमुकुन्द सिंह यादव	शिक्षक (श्रवण बाधितार्थ)
6	सुश्री दुर्गा भिलाला	शिक्षिका

रीवा संभाग

7	श्री हमीद खान	हाउस मास्टर
---	---------------	-------------

क्र. 1602-500-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

**उच्चस्तर
इन्दौर संभाग**

1	श्री धमेन्द्र गांगले	अधीक्षक
2	श्री राजेश कामदार	अधीक्षक

**निम्नस्तर
भोपाल संभाग**

1	श्री एजाज अहमद सिद्दीकी	मेट्रन
2	सुश्री माया गढवाल	शिक्षक
3	श्री सोमेन्द्र सिंह गेहलोत	शिक्षक, दृष्टि बाधितार्थ
4	श्रीमती मृदुला चौहान	विशेष शिक्षिका (श्रवण बाधितार्थ)
5	श्री प्रभात कुमार तिवारी	शिक्षक (श्रवण बाधितार्थ)
6	श्री बालमुकुन्द सिंह यादव	शिक्षक (श्रवण बाधितार्थ)
7	श्री अजय कुमार भुंजिया	मेट्रन

रीवा संभाग

8	श्री हमीद खान	हाउस मास्टर.
---	---------------	--------------

क्र. 1605-499-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

**उच्चस्तर
इन्दौर संभाग**

1	श्रीमती मृदुला चौहान	विशेष शिक्षिका (श्रवण बाधितार्थ)
---	----------------------	-------------------------------------

**निम्नस्तर
भोपाल संभाग**

1	श्री एजाज अहमद सिद्दीकी	मेट्रन
2	सुश्री माया गढवाल	शिक्षक

इन्दौर संभाग

3	श्री सोमेन्द्र सिंह गेहलोत	शिक्षक, दृष्टि बाधितार्थ
4	श्रीमती कल्पना पंवार	मेट्रन
5	धमेन्द्र गांगले	अधीक्षक
6	श्री प्रभात कुमार तिवारी	शिक्षक (श्रवण बाधितार्थ)
7	श्री बालमुकुन्द सिंह यादव	शिक्षक (श्रवण बाधितार्थ).

क्र. 1607-461-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-द्वितीय सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी,

में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
-------------	---------------------------	--------------

**उच्चस्तर
सागर संभाग**

1	श्रीमती दीप्ति वनवासी	सहायक पंजीयक.
---	-----------------------	---------------

क्र. 1609-462-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-प्रथम सहकारिता सामान्य (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
-------------	---------------------------	--------------

**उच्चस्तर
सागर संभाग**

1	श्रीमती दीप्ति वनवासी	सहायक पंजीयक.
---	-----------------------	---------------

क्र. 1611-491-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा पशुपालन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 11 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-सिविल पशु चिकित्सा लेखा भाग-दो (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
-------------	---------------------------	--------------

**निम्नस्तर
भोपाल संभाग**

1	डॉ. चन्द्रशेखर सिंह	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
2	डॉ. मनोज बालोदिया	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.

क्र. 1613-493-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा गृह विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 9 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-व्यवहारिक परीक्षा विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
-------------	---------------------------	--------------

जबलपुर संभाग

1	श्री अरविन्द सिंह ठाकुर	उप पुलिस अधीक्षक
---	-------------------------	------------------

(1) (2) (3)

सागर संभाग

2	कु. लवली सोनी	उप पुलिस अधीक्षक
---	---------------	------------------

भोपाल संभाग

3	कु. कमला जोशी	उप पुलिस अधीक्षक
---	---------------	------------------

रीवा संभाग

4	कु. पिकी जीवनानी	उप पुलिस अधीक्षक
---	------------------	------------------

5	श्रीमती यास्मिन जहरा	उप पुलिस अधीक्षक
---	----------------------	------------------

उज्जैन संभाग

6	कु. स्टेला सुलिया	उप पुलिस अधीक्षक
---	-------------------	------------------

7	श्री अलोक कुमार शर्मा	उप पुलिस अधीक्षक.
---	-----------------------	-------------------

क्र. 1615-490-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा पशुपालन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 11 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-सिविल पशु चिकित्सा लेखा भाग-एक (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
-------------	---------------------------	--------------

**निम्नस्तर
भोपाल संभाग**

1	डॉ. चन्द्रशेखर सिंह	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
2	डॉ. मनोज बालोदिया	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ.

क्र. 1617-463-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 9 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-चौथा-सहकारिता लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
-------------	---------------------------	--------------

**उच्चस्तर
सागर संभाग**

1	श्रीमती दीप्ति वनवासी	सहायक पंजीयक (सश्रेय).
---	-----------------------	------------------------

क्र. 1619-485-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 10 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर
भोपाल संभाग

1	कु. सपना खर्ते	सहायक संचालक
2	श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव	सहायक संचालक.

क्र. 1621-453-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-द्वितीय लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

निम्नस्तर
इंदौर संभाग

1	श्री दीपक कुमार शर्मा	जिला पंजीयक.
---	-----------------------	--------------

क्र. 1623-484-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-प्रथम लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर
इंदौर संभाग

1	श्री दीपक कुमार शर्मा	जिला पंजीयक.
---	-----------------------	--------------

क्र. 1625-454-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 10 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-द्वितीय लेखा (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न

परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर
भोपाल संभाग

1	कु. सपना खर्ते	सहायक संचालक
2	श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव	सहायक संचालक.

क्र. 1627-497-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा गृह विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 9 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-पुलिस शाखा (बि.पु.के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

भोपाल संभाग

1	कु. कमला जोशी	उप पुलिस अधीक्षक
---	---------------	------------------

सागर संभाग

2	कु. लवली सोनी	उप पुलिस अधीक्षक
---	---------------	------------------

उज्जैन संभाग

3	श्री अलोक कुमार शर्मा	उप पुलिस अधीक्षक
4	कु. स्टेला सुलिया	उप पुलिस अधीक्षक

जबलपुर संभाग

1	श्री अरविन्द सिंह ठाकुर	उप पुलिस अधीक्षक
---	-------------------------	------------------

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2013

क्र. 1740-472-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 9 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिए, विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

भोपाल संभाग

1	श्री वीरेन्द्र प्रातप सिंह बुन्देला	सहायक वन संरक्षक
2	श्री ओ. पी. श्रीवास्तव	सहायक वन संरक्षक
3	श्री सुधीर पटले	सहायक वन संरक्षक

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
होशंगाबाद संभाग			41	श्री जितेन्द्र अवासे	वन क्षेत्रपाल
4	श्रीमती प्रतिभा टिटारे	सहायक वन संरक्षक	42	श्री इन्द्र सिंह धाकड़	वन क्षेत्रपाल
5	कु. बासु कन्नौजिया	सहायक वन संरक्षक	43	कु. सीता भलावी	वन क्षेत्रपाल
6	श्री रितेश सरोठिया	सहायक वन संरक्षक	44	श्री वीरेन्द्र कुमार	वन क्षेत्रपाल
7	श्री सेवक राम मण्डलोई	वन क्षेत्रपाल	45	श्री यशपाल मेहरा	वन क्षेत्रपाल
8	श्रीमती सुनीता अहिरवार	वन क्षेत्रपाल	46	श्री हरिकरण पटेल	वन क्षेत्रपाल
9	श्री देवेन्द्र सिंह	वन क्षेत्रपाल	47	श्री संदीप रावत	वन क्षेत्रपाल
10	श्री धीरज सिंह चौहान	वन क्षेत्रपाल	48	कु. मंजु उईके	वन क्षेत्रपाल
11	कु. माधुरी वाडिया	वन क्षेत्रपाल	49	श्री मुकेश अलावा	सहायक वन संरक्षक
12	श्री दिनेश कुमार मोर्य	वन क्षेत्रपाल	50	श्री गुलाब सिंह निगंवाल	वन क्षेत्रपाल
13	श्री माधुसिंह सिसोदिया	वन क्षेत्रपाल	51	श्री अशोक कुमार गौतम	सहायक वन संरक्षक
14	श्री मुकेश कुमार मेरावी	वन क्षेत्रपाल	52	श्री सुरेन्द्र सिंह जाटव	सहायक वन संरक्षक
15	श्री बाबूलाल सुवेल	वन क्षेत्रपाल	53	श्री श्रीराम सूत्रकार	सहायक वन संरक्षक
16	सुश्री मोनिका मण्डलोई	वन क्षेत्रपाल	54	श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी	सहायक वन संरक्षक
ग्वालियर संभाग			55	श्री अनिल कुमार शुक्ला	सहायक वन संरक्षक
17	श्री अजय कुमार तिवारी	सहायक वन संरक्षक	56	कु. शैलजा ठाकुर जागेत	वन क्षेत्रपाल
उज्जैन संभाग			57	श्री सूरसिंह कल्वेलिया	वन क्षेत्रपाल
18	श्री माधवसिंह मोर्य	सहायक वन संरक्षक	58	कु. अंजना मर्सकोले	वन क्षेत्रपाल
जबलपुर संभाग			59	सुश्री वती मरावी	वन क्षेत्रपाल
19	श्री हेमंत यादव	सहायक वन संरक्षक	60	श्री सुरेश कुमार भलावी	वन क्षेत्रपाल
20	डॉ. किरण बिसेन	सहायक वन संरक्षक	रीवा संभाग		
21	श्री राकेश कोड़ापे	सहायक वन संरक्षक	61	श्री शिव सेवक पटेल	सहायक वन संरक्षक
22	श्री रिपुदमन सिंह भदौरिया	सहायक वन संरक्षक	62	श्री ऋषि मिश्र	सहायक वन संरक्षक
23	श्री गौरव चौधरी	सहायक वन संरक्षक	63	श्री ए. के. सिंह	सहायक वन संरक्षक
24	श्री संजय रायखेरे	सहायक वन संरक्षक	64	श्री ओ. पी. सिंह बघेल	सहायक वन संरक्षक
25	श्री लोकप्रिय भारती	सहायक वन संरक्षक	65	श्री रवीन्द्र मणि त्रिपाठी	सहायक वन संरक्षक
26	कु. श्रद्धा पन्डे	सहायक वन संरक्षक	66	श्री मदन मोहन द्विवेदी	वन क्षेत्रपाल
27	श्री आशीष बनसोड़	सहायक वन संरक्षक	67	श्री यज्ञ नारायण विश्वकर्मा	वन क्षेत्रपाल
28	श्री कन्हैयालाल लडिया	सहायक वन संरक्षक	शहडोल संभाग		
29	कु. अंशु एलिस बरवा	वन क्षेत्रपाल	68	श्रीमती सीमा द्विवेदी	सहायक वन संरक्षक
30	श्री राजेश चौहान	वन क्षेत्रपाल	69	श्री रंजीत सिंह उईके	सहायक वन संरक्षक
31	श्री बंसत कुमार वरकड़े	वन क्षेत्रपाल	70	श्री गणवन्त सिंह सिसौदिया	सहायक वन संरक्षक
32	श्री शिलेन्द्र कुमार उईके	वन क्षेत्रपाल	इंदौर संभाग		
33	कु. अभिश्वेता रावत	सहायक वन संरक्षक	71	श्री गौतम तड़वी	सहायक वन संरक्षक
34	श्री एम. एल. वरकड़े	वन क्षेत्रपाल	72	सुश्री हेमलता साहू	सहायक वन संरक्षक
35	श्री भूरा गायकवाड़	वन क्षेत्रपाल	73	श्री दिनेश मोर्य	वन क्षेत्रपाल
36	श्री कुलदीप राजौदिया	सहायक वन संरक्षक	74	श्री श्यामसिंह चौहान	वन क्षेत्रपाल
37	श्री सीताराम नर्गेश	सहायक वन संरक्षक	सागर संभाग		
38	श्री राकेश शाक्यवार	सहायक वन संरक्षक	75	सुश्री प्रीति अहिरवार	सहायक वन संरक्षक
39	श्री धरमसिंह सोलंकी	सहायक वन संरक्षक	76	श्री माधोराव उईके	वन क्षेत्रपाल
40	श्री प्रमोद चोपड़े	वन क्षेत्रपाल			

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2013

क्र. 1742-458-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 9 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र सामान्य विधि, द्वितीय (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिए, विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
सागर संभाग		
1	सुश्री प्रीति अहिरवार	सहायक वन संरक्षक
2	श्री के. बी. गुप्ता	सहायक वन संरक्षक
इंदौर संभाग		
3	सुश्री हेमलता साहू	सहायक वन संरक्षक
4	श्री दिनेश मोर्य	वन क्षेत्रपाल
5	सुश्री सीमा सिंह	वन क्षेत्रपाल
उज्जैन संभाग		
6	श्री माधवसिंह मोर्य	सहायक वन संरक्षक
ग्वालियर संभाग		
7	श्री अजय कुमार तिवारी	सहायक वन संरक्षक
होशंगाबाद संभाग		
8	कु. बासु कन्नौजिया	सहायक वन संरक्षक
9	सुश्री मोनिका मण्डलोई	वन क्षेत्रपाल
10	श्री मुकेश कुमार मेरावी	वन क्षेत्रपाल
11	कु. माधुरी वाडिया	वन क्षेत्रपाल
12	श्री देवेन्द्र सिंह	वन क्षेत्रपाल
13	श्री धीरज सिंह चौहान	वन क्षेत्रपाल
जबलपुर संभाग		
14	श्री राजेन्द्र सिंह चौहान	
15	श्री हेमंत यादव	सहायक वन संरक्षक
16	श्री राकेश कोडावे	सहायक वन संरक्षक
17	श्री रिपुदमन सिंह भदौरिया	सहायक वन संरक्षक
18	श्री गौरव चौधरी	सहायक वन संरक्षक
19	श्री लोकप्रिय भारती	सहायक वन संरक्षक
20	श्री आशीष बनसोड़	सहायक वन संरक्षक
21	श्री कुलदीप राजौदिया	सहायक वन संरक्षक
22	श्री धरमसिंह सोलंकी	सहायक वन संरक्षक

(1)	(2)	(3)
23	सुश्री क्रान्ति झारिया	वन क्षेत्रपाल
24	श्री सुरेश कुमार भलावी	वन क्षेत्रपाल
25	सुश्री वती मरावी	वन क्षेत्रपाल
26	कु. अंजना मर्सकोले	वन क्षेत्रपाल
27	श्री सूरसिंह कल्बेलिया	वन क्षेत्रपाल
28	कु. मंजु उईके	वन क्षेत्रपाल
29	कु. सीता भलावी	वन क्षेत्रपाल
30	कु. अंशु एलिस बरवा	वन क्षेत्रपाल
31	श्री अमित सोनी	

रीवा संभाग

32	श्री ऋषि मिश्र	सहायक वन संरक्षक
33	श्री ओ. पी. सिंह बघेल	सहायक वन संरक्षक
34	श्री रवीन्द्र मणि त्रिपाठी	सहायक वन संरक्षक

शहडोल संभाग

35	श्रीमती सीमा द्विवेदी	सहायक वन संरक्षक
----	-----------------------	------------------

भोपाल संभाग

36	श्री राम कुमार	वन क्षेत्रपाल
----	----------------	---------------

क्र. 1744-474-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 11 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-प्रक्रिया तथा लेखा, तृतीय (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिए, विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
-------------	---------------------------	--------------

भोपाल संभाग

1	श्री अभयसिंह भूरिया	वन क्षेत्रपाल
2	कु. माधुरी वाडिया	वन क्षेत्रपाल
3	श्री वीरेन्द्र कुमार	वन क्षेत्रपाल
4	श्री सुरेन्द्र कुमार खरे	सहायक वन संरक्षक
5	श्री सद्गुरू चक्रधर	सहायक वन संरक्षक
6	श्रीमती सीमा द्विवेदी	सहायक वन संरक्षक

उज्जैन संभाग

7	श्री माधवसिंह मोर्य	सहायक वन संरक्षक
8	कु. अंजना सुचिता तिकी	सहायक वन संरक्षक

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, राजभवन, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2013

क्र. 271-रास-यूए-6-2013.—डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू के रेग्युलेशन की कंडिका 35(2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल एवं चेयरमेन, डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति गठित की जाती है :—

- | | | |
|-----|---|---|
| (1) | श्री नन्हे सिंह,
सेवानिवृत्त आय.ए.एस.
ई-7/726, अरेरा कालोनी, भोपाल
(दूरभाष : 2431611)
(मो.—9425004044). | चेयरमेन द्वारा मनोनीत |
| (2) | श्री जे. एन. मालपानी,
आयुक्त,
अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश,
35 राजीव गांधी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
(दूरभाष : 2427765)
(मो.—9425090671). | राज्य शासन द्वारा मनोनीत |
| (3) | श्री विनय कुमार पॉल,
डायरेक्टर,
अम्बेडकर फाउण्डेशन,
15, जनपथ, नई दिल्ली—110 001
(दूरभाष : 011 / 23320571 / 23320576). | अध्यक्ष, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा मनोनीत. |

साथ ही श्री नन्हे सिंह, सेवानिवृत्त आय.ए.एस. को उक्त समिति का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है.

2. यह समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से एक माह की अवधि में उक्त संस्थान के महानिदेशक के पद के लिये कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशासित करेगी.

महामहिम राज्यपाल एवं चेयरमेन
डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू
के आदेशानुसार,
विनोद सेमवाल, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश

झाबुआ, दिनांक 4 फरवरी 2013

क्र. 712-व.लि.-1-2013.—सामान्य पुस्तक के परिपत्र 02 के अनुक्रमांक 04 के नियम 08 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना 3-2-1999-एक-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, जयश्री कियावत, कलेक्टर, जिला झाबुआ, वर्ष 2013 के लिये सम्पूर्ण जिला झाबुआ की सीमाक्षेत्र हेतु निम्नांकित तिथियों को निम्नानुसार तीन स्थानीय अवकाश घोषित करती हूँ :—

क्र. (1)	जिला (2)	पर्व अथवा त्यौहार (3)	दिनांक (4)	दिन (5)	सम्पूर्ण विवरण (6)
1	झाबुआ सम्पूर्ण जिला	1. शीतला सप्तमी	02-04-2013	मंगलवार	सम्पूर्ण जिला
2	—''—	2. नवरात्र प्रारंभ (घटस्थापना)	05-10-2013	शनिवार	—''—
3	—''—	3. पड़वा (दिपावली का दूसरा दिन)	04-11-2013	सोमवार	—''—

टीप.—

- (1) यह स्थानीय अवकाश कोषालय / उप कोषालय तथा बैंकों के लिये प्रभावशील नहीं रहेगा.
- (2) जिन शैक्षणिक संस्थाओं की इन दिनांकों में परीक्षाएँ नियत हैं. इन पर भी यह अवकाश प्रभावशील नहीं रहेगा. परीक्षाएँ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यथावत रहेगी.

जयश्री कियावत, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

रायसेन, दिनांक 11 मार्च 2013

क्र. 1018-कृ.उ.म.-2012-13.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) के खण्ड (घ) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, मोहन लाल, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला रायसेन, कृषि उपज मण्डी समिति, गैरतगंज में अध्यक्ष, जिला पंचायत, रायसेन द्वारा प्रतिनिधि नियुक्ति हेतु निर्दिष्ट सदस्य का नाम निम्नानुसार अधिसूचित करता हूँ :—

1	श्री कल्याण सिंह उर्फ रामबाबू लोधी आ. श्री भँवरलाल, निवासी ग्राम चोंदपुर तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन.	अध्यक्ष जिला पंचायत प्रतिनिधि	धारा 11(1) के खण्ड (घ)
---	--	-------------------------------	---------------------------

मोहन लाल, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 4 फरवरी 2013

क्र. 257-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 59-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	पानसेमल	गेन्द्री	0.125	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग, बड़वानी.	जलगोन-बंधारा-घट्ट्या मार्ग में पुलिया निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, जिला-बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग-बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उप संभाग-सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 7 मार्च 2013

क्र. 538-भू-अर्जन-नहर-2013-प्र. क्र. 61-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	राजपुर	मुण्डला	1.315	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की बंजारी शाखा नहर के निर्माण हेतु पूरक प्रस्ताव.

नोट.—(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27, राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 6 फरवरी 2013

क्र. 5566-भू.अ.अ.-2012-13-प्र.क्र. अ-82 वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन सार्वजनिक प्रयोजन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील का नाम	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	हटा	निवाईमाफी	1.35 हेक्टर एवं 15 मकान.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह.	पिपरिया जलाशय के निर्माण में छूटी हुई भूमि एवं 15 मकान का अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की, भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दमोह, दिनांक 13 मार्च 2013

क्र. 5667 क-भू.अ.वि.अ.-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	दमोह	लाइनवाग	9.348	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि., सागर.	दमोह-कटनी (एस.एच. 14) बाईपास निर्माण हेतु.
		धरमपुरा	2.324		
		समन्ना रैयत	1.100		
		मड़िया पनगढ़ा	2.401		
		पिपरिया नायक	3.122		
		कुलुवा (मारुताल)	6.160		
		दमोह खास	5.910		
		कुल योग . .	18.295		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दमोह संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि., सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 28 फरवरी 2013

क्र. 1305-कलेक्टर-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	बरघाट	अरी प.ह.नं. 27 बंदो. नं. 2	आ. शा. भूमि 0.36 हे.	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग क्र. 1, सिवनी.	मार्ग निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 1306-कलेक्टर-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	बरघाट	शुकला प.ह.नं. 61 बंदो. नं. 80	आ. शा. भूमि 1.09 हे.	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग क्र. 1, सिवनी.	मार्ग निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 3 मार्च 2013

प्र. क्र. 1-अ-82-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	कुरवाई	कुरवाई	0.439	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई.	बी. ओ. टी. योजनान्तर्गत बीना-कुरवाई-सिरोंज मार्ग का सुदृढीकरण एवं उन्नयन कार्य

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 5 मार्च 2013

प्र. क्र. 2-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	जावर	गुराडियावर्मा	147.000 हेक्टे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, सीहोर.	गुराडियावर्मा तालाब के शीर्ष भाग के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गुराडियावर्मा तालाब के शीर्ष भाग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अ.वि.अ./भू-अर्जन अधिकारी, आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 7 मार्च 2013

क्र. 1938-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-सीतापार ब.नं.-399 प.ह.नं.-53/20 रा.नि.मं.-सौंसर.	रकबा 03.734 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, छिंदवाड़ा.	मोहगांव एल्कापार मार्ग (महाराष्ट्र सीमा) निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (भ/स) उपसंभाग सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 1939-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध

में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-घोडाबोरगांव ब.नं.-205 प.ह.नं.-54/21 रा.नि.मं.-सौंसर.	रकबा 0.100 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, छिंदवाड़ा.	मोहगांव एल्कापार मार्ग (महाराष्ट्र सीमा) निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (भ/स) उपसंभाग सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.				
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.				

क्र. 1940-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-सायखेड़ा ब.नं.-78 प.ह.नं.-54/21 रा.नि.मं.-सौंसर.	रकबा 0.276 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, छिंदवाड़ा.	मोहगांव एल्कापार मार्ग (महाराष्ट्र सीमा) निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (भ/स) उपसंभाग सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 1941-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग . क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम- पिपलानारायणवार ब.नं.-248 प.ह.नं.-46/19 रा.नि.मं.-सौंसर.	रकबा 0.097 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, छिंदवाड़ा.	मोहगांव एल्कापार मार्ग (महाराष्ट्र सीमा) निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2)					
(3)					
(4)					
(5)					

क्र. 1942-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-एल्कापार ब.नं.-28 प.ह.नं.-55/21 रा.नि.मं.-सौंसर.	रकबा 0.942 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, छिंदवाड़ा.	मोहागांव एल्कापार मार्ग (महाराष्ट्र सीमा) निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (भ/स) उपसंभाग सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 1943-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध

में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-खापरखेडा ब.नं.-78 प.ह.नं.-55/21 रा.नि.मं.-सौंसर.	रकबा 0.233 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, छिंदवाड़ा.	मोहागांव एल्कापार मार्ग (महाराष्ट्र सीमा) निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (भ/स) उपसंभाग सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.				
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.				

क्र. 1944-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	पादुर्णा	ग्राम-उत्तमडेरा ब.नं.-19 प.ह.नं.-11 रा.नि.मं.-नांदनवाडी	रकबा 01.652 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा.	उत्तमडेरा जलाशय के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग उपसंभाग पांडुर्णा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 1945-भू-अर्जन-2013.— चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	पांडुर्णा	ग्राम-लिंगा एलेतीर ब.नं.-144 प.ह.नं.-57 रा.नि.मं.-पांडुर्णा.	रकबा 01.203 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा.	जाटलापुर जलाशय के नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग उपसंभाग पांडुर्णा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 8 मार्च 2013

क्र. दस-भू-अर्जन-फा. 494-प्र. क्र. 10-अ-82-2010-11-1456.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	सोहागपुर	बरूका कटहरी पटासी बडखेरा	2.770 2.275 0.827 2.648	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ/स) शहडोल म.प्र.	छतवई पटासी मार्ग के अंतर्गत आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल म. प्र. में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अलीराजपुर, दिनांक 8 मार्च 2013

क्र. 158-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अलीराजपुर	जोबट	उम्दा	1.34	कार्यपालन यंत्री, न.वि.स. ग्रा. 16, कुशी, जिला धार.	जोबट परियोजना के बांध से डूब प्रभावित.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 16, कुशी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भिण्ड, दिनांक 7 मार्च 2013

क्र. 07-12-13-अ-82-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित संपत्ति को, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

संपत्ति का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भिण्ड	गोहद	पिपरसाना	2.19	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक-2, ग्वालियर (म.प्र.).	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1आर/5 एल. के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

फार्म एक (3)

ग्राम पिपरसाना, तहसील गोहद, पटवारी हल्का नं. 53

हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता के 1R/5L निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

स.क्र.	नहर का नाम एवं ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	सर्वे का कुल रकबा (हेक्टर में)	नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (हेक्टर में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	हरसी उच्चस्तरीय नहर क्र. 2 संभाग ग्वालियर.	4137	2.33	0.12	
2		4111	0.15	0.01	
3		4113	3.26	0.18	
4		4121	3.19	0.15	
5		4116	0.87	0.13	
6		4117	0.56	0.03	
7		4118	0.04	0.07	
8		4120	.39	0.05	
9		4119	1.18	0.01	
10		4036	0.83	0.07	
11		4038	1.70	0.15	
12		4031	2.19	0.11	
13		4041	0.21	0.01	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14		4042	0.14	0.01	
15		4044	0.40	0.09	
16		177	1.07	0.11	
17		178	0.24	0.02	
18		181	0.43	0.13	
19		192	0.84	0.13	
20		195	2.16	0.15	
21		146	2.08	0.03	
22		197	1.28	0.01	
23		145	0.98	0.08	
24		143	1.83	0.14	
25		140	1.23	0.01	
26		141	0.85	0.07	
27		137	1.34	0.12	
				योग . .	2.19

क्र. 08-12-13-अ-82-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित संपत्ति को, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

संपत्ति का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भिण्ड	गोहद	जीयाजीपुर	0.50	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक-2, ग्वालियर (म.प्र.).	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 6 एल. के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

फार्म एक (3)

ग्राम जियाजीपुर, तहसील गोहद, पटवारी हल्का नं. 26

हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा के 6L निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

स.क्र.	नहर का नाम एवं ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	सर्वे का कुल रकबा (हेक्टर में)	नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (हेक्टर में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	हरसी उच्चस्तरीय नहर क्र. 2 संभाग ग्वालियर.	230	0.540	0.09	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	हरसी उच्चस्तरीय नहर क्र. 2 संभाग ग्वालियर.	212	0.420	0.05	
3		213	0.430	0.03	
4		211	0.190	0.12	
5		210	0.440	0.01	
6		214	1.610	0.08	
7		215	1.400	0.12	
				योग . .	<u>0.50</u>

क्र. 09-12-13-अ-82-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित संपत्ति को, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

संपत्ति का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भिण्ड	गोहद	कमलापुर	0.36	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक-2, ग्वालियर (म.प्र.).	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की टेल माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

फार्म एक (3)

ग्राम कमलापुर, तहसील गोहद, पटवारी हल्का नं. 44/2

हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा के टेल माइनर निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

स.क्र.	नहर का नाम एवं ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	सर्वे का कुल रकबा (हेक्टर में)	नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (हेक्टर में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	हरसी उच्चस्तरीय नहर क्र. 2 संभाग ग्वालियर.	53	1.37	0.09	
2		41	0.61	0.07	
3		40	0.93	0.12	
4		39	0.25	0.07	
5		38	1.14	0.01	
				योग . .	<u>0.36</u>

क्र. 10-12-13-अ-82-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित संपत्ति को, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	संपत्ति का विवरण			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भिण्ड	गोहद	रामपुरा	2.14	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक-2, ग्वालियर (म.प्र.).	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 आर/5 एल एवं 5 एल के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

फार्म एक (3)

ग्राम रामपुरा, तहसील गोहद, पटवारी हल्का नं. 44/2

हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा के 5L एवं 1R/5L निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

स.क्र.	नहर का नाम एवं ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	सर्वे का कुल रकबा	नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (हेक्टर में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	हरसी उच्चस्तरीय नहर क्र. 2 संभाग ग्वालियर.	550	0.76	0.01	
2		469	0.82	0.03	
3		419	0	0.14	
4		427	0.62	0.10	
5		428	0.78	0.70	
6		433	0.58	0.14	
7		434	0.74	0.01	
8		443	1.24	0.15	
9		220	0.42	0.08	
10		222	1.08	0.08	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	हरसी उच्चस्तरीय नहर क्र. 2-संभाग ग्वालियर.	279	0.61	0.10	
12		277	0.55	0.08	
13		257	0.72	0.11	
14		256	0.79	0.08	
15		254	0.49	0.01	
16		253	0.55	0.03	
17		244	1.14	0.14	
18		242	1.13	0.12	
19		550	0.76	0.01	
20		548	0.79	0.12	
21		540	1.23	0.11	
22		538	0.32	0.11	
23		537	1.22	0.13	
24		469	0.82	0.04	
25		484	0.87	0.09	
26		485	0.79	0.09	
27		483	0.80	0.01	

योग : 2.14

क्र. 11-12-13-अ-82-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित संपत्ति को, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

संपत्ति का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भिण्ड	गोहद	खरौआ	0.38	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक-2, ग्वालियर (म.प्र.).	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 6 एल एवं टेल माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

फार्म एक (3)
ग्राम खरौआ, तहसील गोहद, पटवारी हल्का नं. 44

हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा के 6 एल एवं टेल माइनर निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

स.क्र.	नहर का नाम एवं ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	सर्वे का कुल रकबा (हेक्टर में)	नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (हेक्टर में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	हरसी उच्चस्तरीय नहर क्र. 2 संभाग ग्वालियर.	2469	0.540	0.04	टेल माइनर शीतला माता.
2		2468	0.540	0.03	
3		2400	0.420	0.01	
4		2465	0.190	0.14	
5		2464	0.440	0.12	
6		2426	0.65	0.04	

योग : 0.38

क्र. 12-12-13-अ-82-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित संपत्ति को, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	संपत्ति का विवरण			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भिण्ड	गोहद	आलोरी	2.08	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक-2, ग्वालियर (म.प्र.).	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 6 एल के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

फार्म एक (3)

ग्राम आलोरी, तहसील गोहद, पटवारी हल्का नं. 30

हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा के 6 एल निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव

स.क्र.	नहर का नाम एवं ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	सर्वे का कुल रकबा (हेक्टर में)	नहर में आने वाले क्षेत्र का रकबा (हेक्टर में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	हरसी उच्चस्तरीय नहर क्र. 2 संभाग ग्वालियर.	2165	0.65	0.01	
2		2164	0.86	0.09	
3		2172	2.41	0.24	
4		2160	1.32	0.19	
5		2159	0.17	0.01	
6		2158	0.56	0.05	
7		2157	0.61	0.07	
8		2156	0.10	0.01	
9		2155	1.78	0.19	
10		2129	1.32	0.18	
11		2124	1.30	0.09	
12		2123	0.69	0.09	
13		2122	0.88	0.12	
14		2010	0.68	0.08	
15		2009	1.18	0.08	
16		2008	1.28	0.06	
17		2007	0.73	0.08	
18		2005	0.47	0.06	
19		2006	0.47	0.05	
20		2004	1.25	0.13	
21		2021	0.99	0.01	
22		2022	0.86	0.11	
23		2024	1.30	0.08	

योग : 2.08

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अखिलेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 11 मार्च 2013

क्र. 2374-भू-अर्जन-1-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्नानुसार कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	सिराली	बेडियाकलां	1.389	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	बाफला माईनर की 8 एल सब माइनर एवं 10 एल सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट :—भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2376-भू-अर्जन-2-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्नानुसार कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	सिराली	बेडियाकलां	0.887	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	बाफला माईनर की 9 आर सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट :—भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2370-भू-अर्जन-3-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्नानुसार कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	सिराली	बेडियाकलां	1.205	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	बाफला माईनर की 12 एल सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट :—भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2372-भू-अर्जन-4-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्नानुसार कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	सिराली	भीमपुरा	1.429	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	बाफला माईनर की 15 एल सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट :—भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदाम खांडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 6 मार्च 2013

क्र. 167-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	कुक्षी	कोलगांव	0.200	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि., न.घा.वि.प्रा. मान जोबट परियोजना, संभाग कुक्षी.	सरदार सरोवर परियोजना (अंतर राज्यीय प्रोजेक्ट) में डूब में आने के कारण.

नोट.— भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, मान जोबट परियोजना, संभाग कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धार, दिनांक 11 मार्च 2013

क्र. 3424-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	डही	नलवान्या पन्हाल.	2.946 6.908	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार.	नलवान्या सिंचाई तालाब के निर्माण से प्रभावित होने से.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 13 मार्च 2013

क्र. 262.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची में पद (7) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण		धारा 6 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन		
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. रकबा (हेक्टेयर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
विदिशा	गुलाबगंज	नौलास	284	0.063	भू-अर्जन अधिकारी, ग्यारसपुर.	मढ़ीपुर अम्बार नौलास मार्ग निर्माण हेतु
			280	0.063		
			281	0.021		
			259	0.031		
			257	0.042		
			260	0.035		
			567	0.073		
			563	0.031		
			564/2	0.010		
			564/3	0.010		
			560	0.021		
			561	0.015		
			562	0.021		
			541	0.005		
			551	0.031		
			550	0.063		
			547	0.031		
			546	0.010		
			533	0.021		
			532	0.042		
			331	0.005		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—मढ़ीपुर अम्बार नौलास मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, ग्यारसपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 1 मार्च 2013

क्र. 154-भू-अर्जन-5-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	सिराली	धूलकरण	2.610	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	मरदानपुर माइनर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 152-भू-अर्जन-6-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	सिराली	आमासेल	0.121	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	माचक उपनहर की ढोलगांव माइनर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदाम खांडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 11 मार्च 2013

प्र. क्र. 62-अ-82-2012-13-क्र. 559-भू-अर्जन-नहर-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अन्तर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	ठीकरी	करामतपुरा	10.294	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की कुओं शाखा नहर की डी-11 एवं उसकी उपनहरों के निर्माण हेतु.

नोट.—(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 63-अ-82-2012-13-क्र. 573-भू-अर्जन-नहर-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	ठीकरी	चैनपुरा	19.954	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की कुओं शाखा नहर की डी-7 एल एवं उसकी उपनहरों के निर्माण हेतु.

नोट.—(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 64-अ-82-2012-13-क्र. 574-भू-अर्जन-नहर-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्रामों की भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1)

के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	अंजड़	भमोरी	3.246	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-11, बड़वानी, जिला बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर की भमोरी माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर कार्यालय, बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 65-अ-82-2012-13-क्र. 575-भू-अर्जन-नहर-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	ठीकरी	अनन्तपुरा	5.191	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की सेगवाल उपनहर के निर्माण हेतु.

नोट.—(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 64-अ-82-2012-13-क्र. 576-भू-अर्जन-नहर-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा,

अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	ठीकरी	गवला	9.312	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की कुओं शाखा नहर की एवं उसकी उपनहरों के निर्माण हेतु.

नोट.—(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 67-अ-82-2012-13-क्र. 577-भू-अर्जन-नहर-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	ठीकरी	चिचली	8.475	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की कुओं शाखा नहर की डी-8 एल एवं उसकी उपनहर निर्माण हेतु.

नोट.—(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 12 मार्च 2013

प्र. क्र. 68-अ-82-2012-13-क्र. 580-भू-अर्जन-नहर-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	ठीकरी	टिटगारीया	4.656	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की कुओं वितरण शाखा की एम-4 डी-7 एवं उपनहरों के निर्माण हेतु.

नोट.—(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्रि, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 69-अ-82-2012-13-क्र. 581-भू-अर्जन-नहर-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	ठीकरी	सिरसाला	2.571	कार्यपालन यंत्रि, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की खुरमपुरा उपनहर निर्माण हेतु.

नोट.—(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्रि, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 70-अ-82-2012-13-क्र. 582-भू-अर्जन-नहर-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्रामों की भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	तलेवाड़ा बुजुर्ग	14.995	कार्यपालन यंत्रि, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-11, बड़वानी, जिला बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर की डी.एम.-1 व डी.एम.-2 एवं डी.एम.-1 की सब-माईनर तथा झोलपीपरी माईनर, नहर का निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर, कार्यालय, बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्रि, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

बड़वानी, दिनांक 13 मार्च 2013

प्र. क्र. 71-अ-82-2012-13-क्र. 583-भू-अर्जन-नहर-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	ठीकरी	नन्दगांव	9.648	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की कुओं उपनहर के निर्माण हेतु.

नोट.—(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 72-अ-82-2012-13-क्र. 584-भू-अर्जन-नहर-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	ठीकरी	विश्वनाथखेड़ा	5.322	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की कुओं उपनहर के निर्माण हेतु.

नोट.—(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 73-अ-82-2012-13-क्र. 585-भू-अर्जन-नहर-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के

उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	ठीकरी	पिपरी	4.242	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की जुनापानी उपनहर के निर्माण हेतु.

नोट.—(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 74-अ-82-2012-13-क्र. 586-भू-अर्जन-नहर-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	ठीकरी	सिकन्दरखेड़ी	2.353	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की ठीकरी लेफ्ट उपनहर के निर्माण हेतु.

नोट.—(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 14 मार्च 2013

प्र. क्र. 75-अ-82-2012-13-क्र. 591-भू-अर्जन-नहर-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्रामों की भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा,

अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	अंजड़	छापरी	28.244	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-11, बड़वानी, जिला बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर की बड़दा वितरण शाखा एवं उसकी माईनर, सबमाईनर एवं टेल माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर, कार्यालय, बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 15 मार्च 2013

प्र. क्र. 76-अ-82-2012-13-क्र. 607-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्रामों की भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	धमोड़ी निजी कृषि भूमि.	1.116	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-12. राजपुर.	शहीद भीमा नायक सागर परियोजना की सुरंग एवं कन्ट्रोल स्ट्रेक्चर के निर्माण कार्य के उपयोग में आने वाले भारी वाहन हेतु पहुंच मार्ग एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना, बड़वानी जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 77-अ-82-2012-13-क्र. 608-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्रामों की भूमि अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों

के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	पांचपुला उत्तर भाग-3 निजी कृषि भूमि.	2.204	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-12, राजपुर.	शहीद भीमा नायक सागर परियोजना की सुरंग एवं कंट्रोल स्ट्रेक्चर के निर्माण कार्य के उपयोग में आने वाले भारी वाहन हेतु पहुंच मार्ग एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना, बड़वानी जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 18 मार्च 2013

प्र. क्र. 78-अ-82-2012-13-क्र. 630-भू-अर्जन-नहर-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	राजपुर	दमदमी	0.510	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-27, राजपुर, जिला-बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की सनगांव माईनर शाखा लघु नहर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 14 मार्च 2013

क्र. 267-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	सत्राटी	4.742	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-14, ठीकरी.	इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उप शाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 268-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	मगरखेड़ी	1.920	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-14, ठीकरी.	इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उप शाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 269-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों

को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	पिपलझोपा	1.465	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-14, ठीकरी.	इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उप शाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 270-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	लेण्डीपुरा	3.585	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-14, ठीकरी.	इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उप शाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 271-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	अदलपुरा	0.530	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-14, ठीकरी.	इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उप शाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 272-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	जरोली	2.590	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-14, ठीकरी.	इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उप शाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 273-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	औरंगपुरा	4.075	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-14, ठीकरी.	इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उप शाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 274-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	चिचली	5.260	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-14, ठीकरी.	इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उप शाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 275-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	बिजगुन	0.445	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-14, ठीकरी.	इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उप शाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 276-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	भोईन्दा	2.757	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-14, ठीकरी.	इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उप शाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 277-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	नगांवा	4.780	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-14, ठीकरी.	इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उप शाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 278-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि

के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	मुकुन्दपुरा	0.035	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-14, ठीकरी.	इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उप शाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 279-भू-अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	जामला	वन अधिकार मान्यता अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत वन परिक्षेत्र कसरावद के लोहारी वनखण्ड के कक्ष क्र.-662 पैकी वनाधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त व्यक्तियों की वन भूमि रकबा-0.645 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन.	इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट—(1) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, आँकारेश्वर/महेश्वर परियोजना, बड़वाह, वन मण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन, के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

(2) वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुमति भारत शासन पर्यावरण एवं वनमंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञाप क्रमांक-एफ.नं. 8-47/2003-एफ.सी. दिनांक 20 जनवरी, 2011 एवं मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के ज्ञाप क्रमांक-डी.-503/451/10-3/2011, भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2011 से विभाग द्वारा प्राप्त की गई है.

क्र. 280-भू-अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके

द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	सैलानी	वन अधिकार मान्यता अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत वन परिक्षेत्र कसरावद के लोहारी वन खण्ड के कक्ष क्र.-662 पैकी वनाधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त व्यक्तियों की वन भूमि रकबा-0.642 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन.	इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट—(1) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, औंकारेशवर/महेश्वर परियोजना, बड़वाह, वन मण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन, के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

(2) वन भूमि के व्यवर्तन की अनुमति भारत शासन पर्यावरण एवं वनमंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञाप क्रमांक-एफ.नं. 8-47/2003-एफ.सी., दिनांक 20 जनवरी, 2011 एवं मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के ज्ञाप क्रमांक-डी.-503/451/10-3/2011, भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2011 से विभाग द्वारा प्राप्त की गई है.

क्र. 281-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	सनावद	सनावद	0.504	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-28, पुनासा, जिला-खण्डवा (म.प्र.).	इंदिरा सागर परियोजना की सनावद वितरण शाखा की उप नहर क्रमांक एम-21 की सब माईनर क्रमांक एस. एम.-3 नहर के निर्माण हेतु

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, औंकारेशवर/महेश्वर परियोजना, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-28, पुनासा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 19 मार्च 2013

प्र.क्र. 02-अ-82-वर्ष 12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	कटनी	झिंझरी प.ह.नं. 29 रा.नि.मं. मुड़वारा-2	निजी 5.61 हे. में से 1.90 हे. कुल अर्जित भूमि 1.90 हे.	वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग म. प्र. शासन.	फूड पार्क एप्रोच रोड निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन बावत.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 19 मार्च 2013

क्र. 292-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	गोगांवा	मोहम्मदपुर	6.630	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन.	खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन-2 हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 293-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	गोगांवा	जामन्या	5.370	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन.	खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन-2 हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 294-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	खरगोन	फाजिलपुरा	0.640	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन.	खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन-2 हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 295-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	खरगोन	तुक्लाबाद	0.230	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन.	खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन-2 हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 296-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	खरगोन	बलवाड़ी	1.620	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन.	खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन-2 हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 20 मार्च 2013

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 13-पत्र क्र. 191-भू-अर्जन-12-संशोधित.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) मैहर	(3) बुढेरूआ	(4) 12.256	कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि.प्रा., संभाग अमरपाटन, जिला सतना म. प्र.	न. घा. योजना अंतर्गत सोनौरा उप शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 20 मार्च 2013

क्र. 808-भू-अर्जन-डॉ. अम्बेडकर नगर-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17(1)(4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1) इन्दौर	(2) डॉ. अम्बेडकर नगर.	(3) भेरूघाट	(4) 0.480	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा संभाग क्रमांक-32, बड़वाह, जिला खरगोन, म. प्र.	नर्मदा-क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, तहसील, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), जिला इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 24 जनवरी 2013

क्र.-01-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—कटनी
(ख) तहसील—कटनी
(ग) ग्राम—कटनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.146 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
313/3	0.006
314	0.070
380	0.070
योग . .	0.146

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कटनी नदी पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कटनी कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 28 फरवरी 2013

क्र. 481-भू-अर्जन-नहर-2013-प्र.क्र. 26-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—अंजड़
(ग) ग्राम—हरिबड़
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.414 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
151/7	0.005
161/5, 161/7, 161/8, 162/4, 162/5	0.228
162/2, 163/1, 164/5	0.083
164/8, 167/1	0.003
165/2/3, 167/5, 168/4	0.014
176/1, 177/1	0.051
176/2, 177/2	0.030
योग . .	0.414

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की बांडी वितरण एवं माईनर शाखा लघु नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27, राजपुर जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 6 मार्च 2013

क्र. 531-भू-अर्जन-नहर-प्र.क्र. 28-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—अंजड़

- (ग) ग्राम—बडगाँव
(घ) लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)—3.496 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
89/5, 98/1	0.090
99/5	0.010
108/5	0.291
134/2	0.640
157/1घ, 159/3 ख, 159/4घ, 159/5घ	0.779
157/1ग, 159/3क, 159/4 ग, 159/5 क	0.026
159/2, 160/1, 161/7	0.040
160/2, 161/2	1.220
160/3	0.110
161/1ख, 162/2, 163/2क	0.280
161/1क, 162/1	0.010
योग . .	3.496

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की तलवाड़ा वितरण शाखा नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27, राजपुर जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 530-भू-अर्जन-2013-प्र.क्र. 38-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—बड़वानी

- (ग) ग्राम—चिखल्या पूरक प्रकरण (निजी कृषि भूमि)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.281 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
828/3	0.080
936/3	0.072
936/4	0.129
योग . .	0.281

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—लोअर गोई परियोजना के मुख्य बांध निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 7 मार्च 2013

क्र. 539-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र.-39-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—बड़वानी
(ग) ग्राम—भण्डारदा पूरक प्रकरण (निजी कृषि भूमि)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.196 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
388, 389	1.193
396/3	0.575
396/4	0.599
396/5	0.405
404/3	1.093
627/4	0.607
627/5	0.724
योग . .	5.196

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—लोअर गोई परियोजना के मुख्य बांध निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्रि, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 5 मार्च 2013

प्र. क्र. 65-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—उटीला
(घ) क्षेत्रफल—3.770 हेक्टर.

सर्वे क्र.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
566	1.839	0.15
562	0.355	0.030
552	1.045	0.330
556	2.957	0.560
545/1	0.449	
545/2	0.449	
545/3 मिन 1	0.884	0.310
545/3 मिन 2	0.883	
545/4	1.767	
541	2.832	0.460
539/1	0.115	0.180
539/2	0.261	
538/1	0.585	0.200
538/2	0.556	
517	1.202	0.090

	(1)	(2)	(3)
441	516/1	0.428	0.090
	516/2	0.376	0.090
	516/2	0.387	
	515/1	0.345	0.100
	515/2	0.345	
	497	1.171	0.120
	496	1.714	0.120
	506	3.031	0.500
	504	0.523	0.080
	502/1	0.240	0.200
	502/2	0.209	
	501/1	0.105	0.030
	501/2	0.062	
	499	0.773	0.110
	442/1 मिन 1	1.232	
	442/1 मिन 2	0.085	0.020
	442/2	0.763	

योग : 3.770

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा/रसीदपुर उपशाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 66-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—बेरजा
(घ) क्षेत्रफल—7.610 हेक्टर.

सर्वे क्र.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
1730	0.052	0.030
1729	0.042	0.280

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1732	0.554	0.030	975/2ख	0.198	
1727	0.031	0.020	975/3 क	0.314	
1711	3.198	0.270	975/3 ख	0.313	
1712/1	1.003		976	0.756	0.150
1712/2 मिन 1	0.335	0.320	971/1	0.627	0.160
1712/2 मिन 2	0.345		971/2	0.324	
1712/2 मिन 3	0.345		970	0.314	0.030
1355/1	1.045		871/2	0.314	
1355/2 मिन	0.627		871/3	0.836	0.520
1355/2	0.627	0.400	871/4	1.463	
1355/2 मिन 3 क	0.314		872	1.170	0.220
1355/2 मिन 3 ख	0.313		954/1	0.642	0.510
1356/ मिन 1	2.404	0.320	954/2	3.135	
1356/मिन 2	0.941		948/1क	0.390	
1357/मिन 1	2.090	0.050	948/1 ख	0.390	0.210
1357/मिन 2	0.585		948/1ग	0.390	
1325	1.704	0.010	948/4	0.627	
1358	2.717	0.400	942/2	0.836	
1322/मिन 1	0.794		942/3 क	0.282	
1322/ मिन 2	0.449		942/3 ख	0.282	
1322/मिन 3	0.449	0.490	942/3 ग	0.282	
1322/मिन 4	0.450		942/4 क	0.390	
1322/मिन 5	0.450		942/4 ख	0.390	
1322/मिन 6	0.460		942/4 ग	0.390	
1322/मिन 7	0.459		942/5 क	0.069	0.340
1317	2.633	0.240	942/5 ख	0.070	
1318	3.292	0.230	942/5 ग	0.070	
1314/1 मिन 1	0.136		942/6	1.013	
1314/1 मिन 2	0.272		945/1	0.408	0.290
1314/1 मिन 3	0.136	0.500	945/2	1.045	
1314/2 मिन 1	0.711				
1314/2 मिन 2	2.090				
1315	1.568	0.220			
999/1क	1.046	0.450			
999/1ख	1.045				
974/1	0.439				
974/2क	0.250				
974/2ख	0.199	0.010			
974/3	0.439				
963/4	0.209	0.36			
972/1	0.314				
972/2	0.282	0.240			
972/3	1.045				
975/1क	0.324				
975/1ख	0.324				
975/2 मिन 1	0.146				
975/2 मिन 2 क	0.251	0.310			

योग : 7.610

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर रसीदपुर उपशाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 124-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के

अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

			(1)	(2)	(3)
अनुसूची			1001	0.930	0.170
			1005	2.040	0.310
(1) भूमि का वर्णन—			1021/मिन 1	0.080	
			1021/मिन 2	0.750	
(क) जिला—ग्वालियर			1021/मिन 3	0.250	0.180
(ख) तहसील—ग्वालियर			1021/मिन 4	0.080	
(ग) ग्राम—दुहिया			1018/मिन 1	0.370	0.210
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.34 हेक्टर.			10182/मिन 2	0.380	
सर्वे	कुल रकबा	अर्जित किये जाने	1019	0.290	0.100
क्र.	(हेक्टेयर में)	वाला अनुमानित	1046	0.550	0.120
		रकबा (हे. में)	755	0.340	0.160
(1)	(2)	(3)	1048	0.150	0.060
			1050	0.400	0.100
1308	0.600	0.080	1051	0.040	0.030
1315	0.110	0.030	1054	0.330	0.110
1260	0.250	0.060	1057	0.040	0.020
1314	0.110	0.040	1055	0.130	0.040
1267	0.250	0.050	1056	0.700	0.030
1311	0.190	0.060	706	0.400	0.050
1312	0.110	0.050	707	0.390	0.040
1268	0.250	0.060	754	0.890	0.050
1293	0.260	0.020	753	0.450	0.020
1322	0.230	0.050	744	0.750	0.020
1278	0.050	0.040	710	0.640	0.100
1323	0.240	0.050	712	0.280	0.080
1325	0.040	0.040	713	0.420	0.050
1279	0.470	0.050	742	0.280	0.040
1286	0.020	0.020	741	0.210	0.100
1326	0.050	0.050	716	0.580	0.160
1269	0.180	0.070	717	0.410	0.030
1328	0.160	0.040	611	0.720	0.070
1329	0.090	0.010	609	0.860	0.180
1259	0.260	0.060	606	0.090	0.040
1258	0.260	0.060	605	0.310	0.140
1257	0.260	0.040	323	0.310	0.100
1256	0.050	0.030	327	0.230	0.120
1255	0.280	0.010	331	0.240	0.150
1245	0.300	0.020	332	0.150	0.010
1246	0.390	0.100	267	0.960	0.140
1243	0.810	0.190	266	0.120	0.050
1240	0.030	0.020	266	0.320	0.050
1241	0.810	0.070	269	0.15	0.010
998	0.200	0.040	259	0.350	0.080
1000	0.580	0.080			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
260	0.680	0.070	870	0.030	0.030
256	0.050	0.030	868	0.060	0.060
255	0.360	0.020	867	0.120	0.060
189	0.120	0.030	864/मिन-1	0.450	0.200
190	0.260	0.080	864/मिन-2	-	
187	0.240	0.070	877	0.200	0.010
196	0.300	0.020	845/मिन-1	10.36	0.020
101	0.350	0.080	845/मिन-2	0.370	
186	0.250	0.030	843	0.560	0.110
174	0.44	0.010	840	0.570	0.090
185	0.280	0.130	544	0.300	0.070
100	0.550	0.190	543	0.410	0.09
99	0.120	0.020	540	0.380	0.08
87	0.300	0.150	539	0.060	0.030
96	0.390	0.040	538	0.420	0.140
97	0.120	0.050	534	1.830	0.28
89	0.480	0.170	487	1.08	0.050
90	0.600	0.050			
		योग . 6.34			योग : 1.650

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.— हरसी उच्चस्तरीय नहर की रसीदपुर नहर की उपशाखा एम-2 आर एवं एम-3 आर नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.— हरसी उच्चस्तरीय नहर की रसीदपुर नहर की उपशाखा एम. 2 आर एवं एम-3 आर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

प्र. क्र. 135-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—दुहिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.650 हेक्टर.

सर्वे क्र.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (है. में)
(1)	(2)	(3)
872	0.190	0.100
871	0.030	0.030

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 5 मार्च 2013

क्र. 1430-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—केवलारी रा.नि.मं. केवलारी

- (ग) ग्राम—खैरा ब.नं. 41 प.ह.नं. 5
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.100 हेक्टर.

ख. नं. अशासकीय	अर्जित रकवा भूमि	खसरा नं.	अर्जित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
253/2	0.17	278	0.67
256	0.18	275	0.47
257	0.13	286/1	0.45
258	0.08	285	0.33
267	0.14	284	0.34
287/2	0.14	योग . .	<u>3.10</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक हैं छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तन हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी केवलारी जिला सिवनी में किया जा सकता हैं.

सिवनी, दिनांक 8 मार्च 2013

क्र. 1539-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, संशोधन सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी रा.नि.मं. बरघाट
(ग) ग्राम—आमागढ़ ब.नं. 13 प.ह.नं.—57
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.591 हेक्टर.

खसरा नम्बर अशासकीय	अर्जित रकबा भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)
402/3	0.012
403	0.219
404	0.133
416/1	0.064
420	0.138
421	0.025
योग . .	<u>0.591</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—टोल प्लाजा निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अपर कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी में किया जा सकता हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 8 मार्च 2013

प्र. क्र. 10 अ-82 वर्ष-11-12-भू-अर्जन-2443.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—शाहपुर
(ग) नगर/ग्राम—पारू
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—35
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.373 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
34/1	0.148
34/2	0.267
34/3	0.178
34/4	0.030
31/3	0.125
29/6	0.149
29/5	0.030
34/5	0.131
31/1	0.196
27	0.119
योग . .	<u>1.373</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—देशावाड़ी जलाशय नहर एवं स्पील चैनल निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.	(1)	(2)
	518	1.267
(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.	541	0.130
	544	0.335
	546	0.405
प्र. क्र. 11 अ-82 वर्ष-11-12-भू-अर्जन-2444.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	441	0.152
	462	2.021
	507	1.006
	468/1	1.121
	466/2	0.090
	471	2.500
	473/2	0.407
	477/1	0.131
अनुसूची	477/2	0.132
(1) भूमि का वर्णन—	476/2	0.490
(क) जिला—बैतूल	475/1	0.425
(ख) तहसील—शाहपुर	480/2	0.662
(ग) नगर/ग्राम—देशावाड़ी	484	0.340
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—35	482	0.375
(घ) लगभग क्षेत्रफल—43.564 हेक्टेयर.	749	0.118
	762	0.125
	764	0.101
	766	0.089
	768	0.059
	782/2	0.108
	849	0.214
	889	0.119
	892	0.226
	880	0.089
	884	0.119
	912	0.172
	903	0.024
	482	0.276
	483/2	0.035
	463	0.605
	464/1	1.002
	465	2.023
	469	2.010
	473/1	0.407
	473/3	0.408
	476/1	0.489
	472/1	0.546
	472/2	1.000
	475/2	0.425
	481	1.007
खसरा	रकबा	
नम्बर	(हेक्टर में)	
(1)	(2)	
503/4	0.612	
504	0.200	
506	0.299	
508/1	0.635	
508/2	0.400	
508/3	0.592	
464/2	1.631	
512	0.809	
514/3	0.800	
520	1.468	
543	0.338	
545	1.250	
548/2	0.313	
513	0.867	
503/2	1.400	
510	0.304	
505/1	1.000	
480/1	0.661	
480/3	0.662	
480/4	0.426	
509	2.582	
505/2	0.600	

(1)	(2)
483/1	0.217
503/4	0.327
750/1	0.004
763	0.107
765	0.160
767/2	0.095
782/1	0.084
848	0.089
887	0.089
890	0.077
893	0.095
883	0.089
902	0.119
850	0.060
463	0.088
483/3	0.180
486	0.050

योग . . . 43.564

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—देशावाड़ी जलाशय एवं स्पील तथा नहर चैनल निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नीमच, दिनांक 8 मार्च 2013

क्र. 854-भू-अर्जन-2013- प्रकरण क्रमांक-02-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता

है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नीमच
(ख) तहसील—जावद
(ग) नगर/ग्राम का नाम—गुड़ापडिहार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—25.334 हेक्टेयर.

ग्राम:—गुड़ा पडिहार (करेल तालाब निर्माण योजना)

सर्वे नम्बर	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
95	1.150
97	0.199
98	0.564
100, 101, 102, 103, 104, 105	1.902
110, 113	0.784
111	0.063
112	0.042
115	0.272
143	0.146
146	0.073
147	0.125
114	0.115
144	0.398
123	0.377
135	0.219
136	0.115
137	0.136
138 ब	0.658
163	0.366
120/मिन-2, 368 में	0.560
371/मिन-2, 373, 374	0.031
122	0.377
124	0.251
125	0.251
127	0.209
128	0.366
130	0.219
133/मिन-1	0.282
145/मिन-1	0.136
133/मिन-2	0.282

(1)	(2)
145/मिन-2	0.136
134	0.428
139	0.460
141	0.261
150	0.282
151/1	0.183
151/2	0.183
152	0.105
156	0.293
158/1	3.135
572/155	1.003
162	0.366
165	0.251
166	0.339
364	0.360
369/मिन-1, 370	1.071
371/मिन-1	0.074
382	0.282
385	0.606
403/मिन-2	0.261
383	0.031
387	0.031
388	0.408
365/1	1.066
365/2	0.728
366	0.502
369/मिन-3, 370 में	0.472
369/मिन-2, 370 में	0.474
380	0.046
389, 399	0.481
398	0.267
401	0.031
403/मिन-2	0.022
392	0.028
योग . . .	<u>25.334</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ग्राम गुडापडिहार तहसील जावद जिला नीमच में करेल सिंचाई योजना हेतु भू-अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड जावद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खरगोन, दिनांक 8 मार्च 2013

क्र. 253-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—भीकनगांव
(ग) ग्राम—आवल्या
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.070 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
15/1	0.140
15/2	0.250
15/3/1	0.080
15/4	0.350
15/6	0.250
योग . . .	<u>1.070</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन-1, 2 हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 252-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—भीकनगांव

(ग) ग्राम—देवला

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.705 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1/2	0.040
2/1/1	0.110
2/1/2	0.250
2/1/3	0.020
2/2	0.250
2/4	0.100
3/3	0.005
4/1	0.190
4/2/1	0.120
4/2/2	0.110
4/3	0.220
5/1/1	0.005
5/1/2	0.140
5/2	0.190
10/2	0.350
11/1	0.280
13/1/1	0.020
13/2	0.090
175/8	0.080
181	0.060
182/3	0.080
182/4	0.120
182/5	0.320
185	0.280
186	0.005
187/1	0.410
187/2	0.040
188/2	0.030
189/4	0.060
197	0.070
198/1, 198/4	0.220
198/2, 198/5	0.160
198/3	0.020
201/1/1	0.260
योग .	<u>4.705</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन-1 हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यालयपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 251-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—भीकनगांव

(ग) ग्राम—ललनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.597 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
16/175	0.345
30	0.008
34	0.142
35/1	0.385
35/3/1	0.040
45/1/2	0.200
45/2	0.040
45/3	0.180
45/4	0.225
45/5	0.096
47	0.030
49/2/1, 50/2/1	0.242
49/3/2	0.070
49/3/3	0.040
49/3/4	0.040
49/3/5, 50/3/1	0.120
60/2	0.110
60/3	0.040
60/7	0.055
60/8	0.060
60/9	0.035
62/1	0.150
62/2	0.180
64/1	0.120

(1)	(2)	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हे.में.)	अर्जित रकबा (हे.में.)
		(1)		(2)
111/2, 112/2	0.398	254	0.534	0.250
112/1	0.155	255	0.210	0.080
161, 162/1	0.162	1195/2/2	0.655	0.030
162/2	0.125	759	0.518	0.080
163/1/1	0.220	1067	0.534	0.015
163/2/3	0.120	802	0.206	0.102
163/2/4	0.020	804/3	0.445	0.130
166/2/1	0.012	554/4/3	1.214	0.240
166/2/2	0.160	1240/1/2	1.500	0.245
167/1	0.242	419	0.101	0.020
167/2	0.030	557/10	0.405	0.040
योग .	4.597	767/2	0.500	0.066
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन-1 हेतु.		554/4/1/1	1.822	0.030
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यालय यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.		557/12/2/3	1.214	0.215
		338/2	0.344	0.140
		1199	0.510	0.110
		247	0.729	0.240
		248/1	0.137	0.045
		249/2	0.012	0.010
		250	0.096	0.060
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		783/2	0.202	0.060
		1200	0.231	0.150
		1198	0.519	0.090
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग		261	0.190	0.105
		1197	0.632	0.036
		1145	0.089	0.053
छतरपुर, दिनांक 8 मार्च 2013		1146	0.065	0.036
		74	1.275	0.270
प्र. क्र. 02-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		557/12/2/1/1/2	1.405	0.300
		1120	1.210	0.360
		557/1/2	0.534	0.005
		80	0.364	0.175
		417	0.676	0.134
		756	0.530	0.090
		757	0.291	0.126
		758	0.186	0.060
		778	0.833	0.010
		780	0.890	0.140
(1) भूमि का वर्णन—		307	0.770	0.035
(क) जिला—छतरपुर		309	0.445	0.135
(ख) तहसील—चंदला		260	0.421	0.090
(ग) ग्राम—अंधियारीबारी		256/1	0.083	0.025
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—11.641 हेक्टर.		805/2	0.740	0.230

(1)	(2)		(1)	(2)	
557/1/1	0.870	0.100	1066	0.971	0.015
336	0.202	0.100	1083	0.470	0.270
768	0.142	0.005	262/1	0.101	0.010
256/2	0.083	0.080	801	0.287	0.170
1188	0.518	0.235	1144	0.384	0.174
1192/2	1.019	0.460	337	0.247	0.065
1194/1	0.547	0.015	418	0.490	0.096
1196	0.368	0.105	73	0.223	0.024
805/1	0.506	0.080	93	0.409	0.070
803/4	0.113	0.050	338/1/1	0.229	0.010
324	0.537	0.150	779	0.138	0.060
764	0.186	0.015	763	0.421	0.201
767/1	0.315	0.025	1143	0.239	0.076
325	0.433	0.100	1148	0.271	0.120
334	0.154	0.010	554/4/1/2	0.478	0.120
335	0.129	0.010	306	0.166	0.020
81	0.219	0.010	89	0.478	0.180
54	0.587	0.030	106	0.587	0.096
90	0.279	0.110		योग . .	11.641
92	0.283	0.100			
554/4/5	2.023	0.384	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य शाखा नहर निर्माण हेतु.	
555	1.449	0.015	(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.	
549	0.575	0.030		प्र. क्र. 10-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	
550	0.348	0.015		अनुसूची	
551	0.849	0.230	(1)	भूमि का वर्णन—	
416	0.806	0.160		(क) जिला—छतरपुर	
104/2	0.405	0.165		(ख) तहसील—लवकुशनगर	
338/1/2	0.115	0.040		(ग) ग्राम—मुड़ेरी उत्तरी	
1095	0.259	0.015		(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—12.193 हेक्टर.	
1096	0.259	0.180		खसरा	
1097/1	0.142	0.060		कुल रकबा	
1097/2	0.405	0.190		अर्जित रकबा	
734	1.530	0.180		क्रमांक	
737	1.040	0.304		(हे.में.)	
754/2	0.647	0.020		(हे.में.)	
1082	0.336	0.145		(1)	
783/1	0.440	0.125		(2)	
1241	0.534	0.090		33/2	
803/3	0.106	0.020		1.214	
71	0.340	0.020		0.125	
420	1.712	0.335			
1124	1.060	0.190			
57/2	0.547	0.096			
1118	0.741	0.182			
782/2	0.627	0.020			

(1)	(2)		(1)	(2)	
33/1/4	0.405	0.165	148	0.709	0.100
793	0.178	0.020	150	0.146	0.010
794	0.162	0.085	824/2	0.310	0.035
268/2	0.809	0.220	656	0.648	0.150
267/7/1	1.076	0.220	291/2/4	1.011	0.015
777	0.057	0.010	266/2/1	1.133	0.070
267/3/1	1.000	0.160	267/3/2	0.375	0.084
267/7/5	0.405	0.180	18/17	1.458	0.180
267/7/2	0.069	0.030	157	1.319	0.270
278/2/1	2.000	0.150	158	0.663	0.075
278/1/1	1.907	0.180	244/1	0.222	0.010
672	0.214	0.095	243/1, 243/2	0.664	0.250
28	0.299	0.040	211	0.312	0.100
29	0.777	0.230	673/1	0.369	0.005
267/3/3	0.648	0.120	259/1	0.468	0.180
260/2, 260/3	0.972	0.330	661/2/2	0.802	0.220
635	0.459	0.170	783	0.243	0.050
265/1	3.294	0.065	677	0.676	0.200
18/1	2.023	0.200	628	0.368	0.100
266/5	2.023	0.020	781	0.178	0.100
266/2/2	1.133	0.050	782/1	0.178	0.070
212	0.615	0.120	796	0.433	0.105
217	0.194	0.060	797	0.655	0.060
214	0.571	0.160	826	0.178	0.010
151	0.239	0.130	267/7/3/1	0.832	0.290
216	0.356	0.135	203	0.599	0.060
146	0.781	0.100	202/1	0.373	0.010
252/4	0.219	0.070	18/16/2	0.324	0.010
34/1/2/1	0.809	0.350	202/2	0.372	0.095
278/3/1क, 278/4	0.735	0.250	174 शा नं. 175,	1.493	0.360
792	0.190	0.120	176/1, 176/2		
795	0.457	0.100	177/1	0.053	0.005
775	0.154	0.040	278/1/2	1.903	0.200
257	0.308	0.010	291/1	3.650	0.400
671	1.623	0.400	776	0.166	0.080
770	0.132	0.050	780/2	0.040	0.010
778	0.125	0.050	790	0.271	0.005
18/2/1	1.132	0.200	791	0.162	0.025
266/2/3	1.133	0.015	818	0.388	0.010
252/3	2.023	0.165	779	0.081	0.005
278/2/2/1	1.238	0.180	657	0.567	0.160
278/3/2 शा नं.	0.364	0.070	660/1	0.069	0.030
278/4/2			661/1	1.030	0.160
159	0.299	0.020	268/3	1.619	0.430

(1)	(2)		(1)	(2)	
156	1.019	0.125	92/1	0.453	0.120
673/2	0.368	0.040	157	1.113	0.200
147/2	0.235	0.017	161/2	0.591	0.090
152/2	0.263	0.017	297	0.425	0.180
18/21	2.023	0.170	328	0.644	0.200
18/23	2.023	0.200	330/1	1.250	0.180
636	0.332	0.065	650/3	0.575	0.090
637	0.324	0.095	1/12/1	0.795	0.100
18/20/1/2	1.145	0.180	355	0.405	0.120
23/1/5	2.428	0.220	372	0.656	0.010
782/2	0.178	0.070	258/2	0.308	0.005
267/7/3/2	0.243	0.170	106	0.478	0.140
291/2/3	1.012	0.370	327	0.821	0.030
	योग . .	<u>12.193</u>	158/1	0.558	0.005

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य /शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.

छतरपुर, दिनांक 14 मार्च 2013

प्र. क्र. 4-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—चन्दला

(ग) ग्राम—खोंडा

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—7.000 हेक्टर.

खसरा क्रमांक (1)	कुल रकबा (हे.में.)	अर्जित कबा (हे.में.)	(2)
272/2	0.522	0.040	152
330/2	1.250	0.020	700
274	0.575	0.130	1/12/2
689	0.527	0.190	374
690	0.437	0.170	296

272/1	0.522	0.040	272/1	0.522	0.040
86	1.023	0.160	86	1.023	0.160
87	0.478	0.080	87	0.478	0.080
275/1	0.056	0.020	275/1	0.056	0.020
373	1.133	0.210	373	1.133	0.210
650/2	0.576	0.090	650/2	0.576	0.090
185	0.615	0.150	185	0.615	0.150
255	0.259	0.004	255	0.259	0.004
107/1	0.567	0.060	107/1	0.567	0.060
186	0.802	0.060	186	0.802	0.060
290	0.470	0.010	290	0.470	0.010
354	1.230	0.004	354	1.230	0.004
329/1/2	0.174	0.010	329/1/2	0.174	0.010
259/2	0.420	0.100	259/2	0.420	0.100
150	0.696	0.040	150	0.696	0.040
182	0.720	0.005	182	0.720	0.005
697	1.291	0.220	697	1.291	0.220
153/2	0.380	0.040	153/2	0.380	0.040
282/1	0.781	0.005	282/1	0.781	0.005
111/2	1.000	0.180	111/2	1.000	0.180
275/2	0.324	0.060	275/2	0.324	0.060
261/2	0.134	0.020	261/2	0.134	0.020
152	0.838	0.120	152	0.838	0.120
700	0.713	0.005	700	0.713	0.005
1/12/2	0.405	0.090	1/12/2	0.405	0.090
374	0.471	0.080	374	0.471	0.080
296	0.328	0.050	296	0.328	0.050
270	0.849	0.080	270	0.849	0.080
365	0.709	0.080	365	0.709	0.080
89	0.243	0.070	89	0.243	0.070
90	0.243	0.100	90	0.243	0.100

(1)	(2)	
291	0.636	0.160
159	1.181	0.004
650/1	0.565	0.090
389	0.793	0.004
363	1.214	0.005
651/2	0.742	0.300
298	0.093	0.020
107/2	0.405	0.140
375	0.470	0.004
184	0.344	0.100
161/1	0.591	0.120
160	0.192	0.060
281	1.076	0.240
271	0.983	0.100
356	0.344	0.080
364	0.902	0.240
362/2	0.797	0.180
701	1.003	0.160
390	0.878	0.160
92/2	0.324	0.120
361	0.809	0.020
256	0.793	0.200
262/2	0.602	0.050
151/2	0.594	0.140
	योग . .	<u>7.000</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य/शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 11-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—चन्दला

(ग) ग्राम—हिड़ोराबारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—1.910 हेक्टर.

खसरा क्रमांक (1)	कुल रकबा (हे.में.) (2)	अर्जित रकबा (हे.में.)
213	0.073	0.010
214/1	0.562	0.201
196/1	0.307	0.057
197/1	0.134	0.010
203/1	0.320	0.069
215, 216	1.020	0.109
217, 218	0.631	0.103
195	0.340	0.080
258	0.388	0.027
182/1	0.739	0.040
174,175,176	1.271	0.138
247	0.364	0.015
181,254/2	0.607	0.198
262/2	2.233	0.086
194/2	0.393	0.086
196/2	0.308	0.069
202/2	0.324	0.034
203/2	0.324	0.079
204	0.551	0.115
206	0.340	0.035
219	0.721	0.017
117	0.632	0.073
220/2	2.428	0.115
201	0.405	0.144
	योग . .	<u>1.910</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य/शाखा नहर निर्माण हेतु

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 14-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लवकुशनगर
(ग) ग्राम—हरद्वार
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—3.340 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	कुल रकबा (है.में.)	अर्जित रकबा (है.में.)
(1)	(2)	
159	0.744	0.305
158	0.364	0.160
177	0.445	0.150
176	0.107	0.080
180/1	0.095	0.035
185/1	0.069	0.010
186/1	0.335	0.010
132	0.680	0.205
139/1	1.016	0.150
136/1/9	0.910	0.250
138/1	0.251	0.170
186/2	0.335	0.182
185/2	0.069	0.048
180/2	0.095	0.020
184	0.393	0.015
155	0.450	0.170
175	0.405	0.095
171,173	0.579	0.240
170/1/5	0.648	0.045
138/2	0.081	0.020
134/2	0.243	0.020
187	0.506	0.060
179	0.235	0.110
134/1	0.684	0.045
133	1.267	0.345
227/2	0.405	0.140
156	0.470	0.185
172	0.174	0.075
योग . .		<u>3.340</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.—सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य नहर /शाखा नहर हेतु

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 21-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लवकुशनगर
(ग) ग्राम—रानीपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—9.919 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	कुल रकबा (है.में.)	अर्जित रकबा (है.में.)
(1)	(2)	
143/1	0.615	0.250
144/2	0.146	0.030
168/10	0.101	0.034
647	0.543	0.175
650	1.076	0.230
339/1	0.219	0.086
339/2	0.178	0.058
606	0.226	0.020
608	0.250	0.144
609	0.466	0.010
641	0.567	0.022
830/3	0.182	0.020
168/8/1	0.631	0.130
168/13	0.040	0.056
925	0.303	0.010
211	0.073	0.019
221/1	0.376	0.010
706/5, 56/5	0.916	0.122
3	0.777	0.224
24	0.930	0.175
25	0.458	0.064

(1)	(2)		(1)	(2)	
208 शा.नं. 210	0.413	0.200	109/1/12	0.235	0.070
13/1	0.777	0.030	109/1/14	0.445	0.190
109/2	0.210	0.010	452	0.397	0.058
352/2/1/1	0.093	0.015	951	0.251	0.110
168/8/2	0.419	0.080	113/10	0.607	0.064
51/3	0.380	0.090	168/2	0.437	0.192
352/1/1/1	0.311	0.058	353/2	0.405	0.134
454	0.466	0.057	354	0.129	0.005
192	0.267	0.105	356	0.324	0.115
51/5/3	0.113	0.039	642	0.405	0.103
636	0.158	0.014	451	0.486	0.134
638/2	0.340	0.076	50/2/1	1.117	0.115
638/1	0.235	0.130	46/1/1	0.870	0.186
144/4	0.693	0.252	305/1	0.797	0.040
159/1	0.178	0.086	305/4	0.308	0.115
28/3	0.826	0.141	344	0.466	0.134
340	0.146	0.077	222	0.526	0.102
168/5	1.214	0.210	190/2/1	0.112	0.087
206	0.239	0.125	191	0.336	0.058
190/2/2	0.131	0.010	194	0.146	0.010
353/1/1/1	0.038	0.005	195	0.478	0.117
350/2/2	0.287	0.038	28/2	0.826	0.134
357	0.182	0.030	45/2/3	0.189	0.045
212	0.676	0.096	832/2	0.389	0.170
28/1	0.825	0.051	352/1/3	0.809	0.115
304/1	0.833	0.195	648	0.219	0.045
47/1/घ	0.364	0.109	52/2	1.133	0.142
51/5/2	0.114	0.045	156	0.299	0.010
590	0.259	0.029	303/3	0.534	0.182
607	0.324	0.144	304/3शा.नं.304/2	0.575	0.078
594/595	0.922	0.221	450	0.591	0.106
158	0.947	0.202	214	0.194	0.025
13/2	0.777	0.095	931/2	0.199	0.067
109/1/10	0.340	0.083	932	0.308	0.005
109/1/6/2	0.050	0.020	588	0.340	0.035
109/1/7	0.154	0.040	926	0.105	0.035
109/1/11	0.299	0.045	589	0.348	0.180
109/1/15/2	0.207	0.074	591	0.166	0.038
50/1/2	0.624	0.096	6	0.825	0.199
50/3	0.567	0.070	7	0.312	0.025
51/2	0.825	0.102	9	0.425	0.135
4	1.631	0.096	224	0.611	0.032
113/4/1	1.011	0.211	52/1	0.534	0.115
113/6	0.567	0.071			
					योग . . 9.919

- (2) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत शाख/उपशाखा नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।
- (3) भूमि के नक्शों (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 11 मार्च 2013

क्र. 2362-भू-अर्जन-40-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—हरदा
(ख) तहसील—सिराली
(ग) नगर/ग्राम—रामपुरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.356 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हे.में.) (2)	विवरण
67/6	0.004	-
67/3	0.332	-
70	0.141	-
71	0.154	-
47/3	0.190	-
47/4	0.069	-
46	0.041	-
47/2	0.141	-
32/1	0.170	-
33	0.057	-
34	0.057	-
योग . .	<u>1.356</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—आमाखाल जलाशय की 2 आर माइनर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2368-भू-अर्जन-41-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—हरदा
(ख) तहसील—सिराली
(ग) नगर/ग्राम—गोमगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.869 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हे.में.) (2)	विवरण
164	0.405	-
167	0.295	-
171	0.809	-
132/1	0.214	-
66/2	0.169	-
54/4	0.335	-
54/2	0.250	-
48	0.041	-
24	0.061	-
20/4	0.105	-
13/2	0.024	-
12	0.004	-
4/2	0.089	-
3	0.202	-
134/2	0.109	-
62/3	0.081	-
62/2	0.165	-
166/3	0.101	-

(1)	(2)	खसरा नम्बर	रकबा (है.में.)	प्रभावित अचल संपत्ति का विवरण
169/1, 169/2	0.226	-	-	
133/1, 133/2, 133/3, 133/4,	0.303	-	-	
133/1, 131/7, 131/2, 131/3,	0.789	-	-	
131/6, 131/4, 131/5, 131/8, 131/9				
67	0.020	-	-	
54/3	0.161	-	-	
54/5	0.048	-	-	
51	0.263	-	-	
25/1, 25/2	0.250	-	-	
13/1, 14	0.072	-	-	
13/3	0.024	-	-	
15, 4/1	0.085	-	-	
4/3	0.004	-	-	
1/1	0.028	-	-	
135/2	0.036	-	-	
62/1	0.101	-	-	
योग . .	<u>5.869</u>			

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—आमाखाल जलाशय की मुख्य नहर एवं माइनर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2366-भू-अर्जन-42-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—हरदा
(ख) तहसील—सिराली
(ग) नगर/ग्राम—जामन्याकलॉ
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.303 हेक्टर.

क्र. 2364-भू-अर्जन-43-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—हरदा
(ख) तहसील—सिराली
(ग) नगर/ग्राम—चौकडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.600 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (है.में.)	विवरण
(1)	(2)	
83	0.162	-
76/5	0.061	-
76/3	0.101	-
77/5, 77/6	0.041	-
76/1	0.073	-
76/2	0.081	-
76/4	0.081	-
योग . .	<u>0.600</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—आमाखाल जलाशय की 1 आर माइनर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

हरदा, दिनांक 12 मार्च 2013

(1)

(2)

क्र. 2422-भू-अर्जन-44-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—हरदा

(ख) तहसील—सिराली

(ग) नगर/ग्राम—आमाखाल

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.848 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (है.में.)	विवरण
(1)	(2)	
29/2	0.282	-
25/2	0.607	-
26	0.081	-
20/3	0.049	1 टप्पर/मकान
20/1, 42/3	0.437	1 टप्पर/मकान 2 महुआ वृक्ष.
18/4, 15/6	0.024	-
18/3, 15/7	0.024	-
15/1	0.049	-
6/1	0.020	-
5/2	0.065	-
2	0.450	-
40	0.299	1 टप्पर/मकान 1 महुआ वृक्ष 1 नीबू वृक्ष.
55	0.061	-
56/2	0.121	-
58/2, 79/3	0.057	-
79/2	0.020	-

45 (शासकीय)
बड़ा झाड़8 मकान/टप्पर,
1 कुआं,
3 महुआ वृक्ष,
1 जाम वृक्ष,
1 नीबू वृक्ष,
1 हैण्डपंप,
1 चबूतरा छायादार

30	0.222	-
25/1	0.061	-
24/2	0.081	-
20/2	0.142	1 टप्पर/मकान
20/5, 42/4	0.373	-
18/1	0.020	-
18/2, 18/5	0.045	-
11/3	0.105	-
6/2	0.142	-
4/1	0.085	-
42/2	0.202	-
41	0.198	1 टप्पर/मकान, 1 कुआं, 1 जाम वृक्ष.
79/1, 56/1	0.219	-
57	0.235	-
46	0.182	-
78	0.890	-
	योग .	5.848

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—आमाखाल जलाशय की मुख्य नहर, माइनर एवं वेस्ट वियर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदाम खांडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा),
मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 13 मार्च 2013

क्र. 2600-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित

किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि
 (क) जिला—राजगढ़
 (ख) तहसील—जीरापुर
 (ग) ग्राम—उभापान, पीपल्याबीजरेल
 (घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—18.255 हैक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)

ग्राम—पीपल्याबीजरेल

78/1	0.032
78/2	0.580
78/3	0.610
79	0.101
80	1.935
85/1/1	1.214
85/1/2	0.565
86/1/1	0.556
86/1/12	1.113
86/1/3	0.135
86/1/4	0.175
86/1/5	0.150
87	0.810
88/1	0.810
92,93/1	0.265
88/2	0.755
93,93/2	0.302
94	1.316
96/2	0.725
72/12	1.205
72/20	0.480
72/21/1,72/21/2,	1.750
72/21/3	

योग . . 15.584

ग्राम—उभापान

77/1	0.202
80	0.567
81	1.902

योग . . 2.671

महायोग . . 18.255

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जुनापानी तालाब के पाल डूब वेस्टवियर के निर्माण हेतु.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर-जीरापुर एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर-जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश
 एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
 राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 13 मार्च 2013

क्र. 2170-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-17 अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—चौरई
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम चौरगांव, प. ह. नं. 21,
 ब. नं. 91, रा. नि. मंडल-चौरई.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —0.518 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
161	0.114
166/1	0.280
167/1	0.090
167/2	0.034
योग . .	0.518

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—छिन्दवाड़ा, नैनपुर, मंडला फोर्ट ब्राडगेज आमाम परिवर्तन के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता (निर्माण)दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे कैम्प नैनपुर जिला मण्डला के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

क्र. 2171-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-17 अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चौरई
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम उमरिया सोमजी,, प. ह. नं. 20,
ब. नं. 11, रा. नि. मंडल-चौरई.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —02.616 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
225/1	0.089
226	0.230
227/1	0.243
232/1, 233/1	0.504
234	0.494
235	0.045
222/4 य, 222/2क,	1.011
222/2 ग, 222/2 ड	
योग .	<u>02.616</u>

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—छिन्दवाड़ा, नैनपुर, मंडला फोर्ट ब्राडग्रेज आमाम परिवर्तन के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता (निर्माण)दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे कैम्प नैनपुर जिला मण्डला के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

क्र. 2172-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-17 अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चौरई
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम खैरीखुर्द,, प. ह. नं. 18,
ब. नं. 54, रा. नि. मंडल-चौरई.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —0.801 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
39	0.172
41/1	0.233
138/2	0.036

(1)	(2)	हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.	
		प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
		(1)	(2)
138/3	0.036	15	0.122
138/4	0.182	24/2	0.001
139	0.142		
योग .	<u>0.801</u>		<u>योग . 0.123</u>
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—छिन्दवाड़ा, नैनपुर, मंडला फोर्ट ब्राडग्रेज आमाम परिवर्तन के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.		(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—छिन्दवाड़ा, नैनपुर, मंडला फोर्ट ब्राडग्रेज आमाम परिवर्तन के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.	
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.		(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.	
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.		(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.	
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता (निर्माण)दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे कैम्प नैनपुर जिला मण्डला के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.		(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे कैम्प नैनपुर जिला मण्डला के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.	

क्र. 2173-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-17 अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—छिन्दवाड़ा
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम सहजपुरी, प. ह. नं. 34,
 ब. नं. 543, रा. नि. मंडल-छिन्दवाड़ा-1.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —0.123

क्र. 2174-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-17 अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—छिन्दवाड़ा
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम उमरिया ईसरा, प. ह. नं. 37,
 ब. नं. 27, रा. नि. मंडल-छिन्दवाड़ा-1.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —0.600 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
522/1	0.160
522/2	0.144
523	0.236
524	0.028
525	0.022
526	0.010
योग .	<u>0.600</u>

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—छिन्दवाड़ा, नैनपुर, मंडला फोर्ट ब्राडग्रेज आमाम परिवर्तन के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे कैम्प नैनपुर जिला मण्डला के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 2175-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-17 अर्जेन्सी क्लोज की अनुमति प्राप्त है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—चौरई
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम समसवाड़ा, प. ह. नं. 16, ब. नं. 266, रा. नि. मंडल-चौरई.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —0.677 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां. प्रस्तावित

प्रस्तावित
खसरा नंबर
(1)

प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)

13	0.163
63	0.100
64	0.086
66/1	0.084
139/1	0.080
67,68/1	0.164
योग .	<u>0.677</u>

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—छिन्दवाड़ा, नैनपुर, मंडला फोर्ट ब्राडग्रेज आमाम परिवर्तन के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे कैम्प नैनपुर जिला मण्डला के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

महू, दिनांक 18 मार्च 2013

क्र. 788-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—इन्दौर
- (ख) तहसील—(महू) डॉ. अम्बेडकर नगर
- (ग) ग्राम—गवाल्

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.455 हेक्टर.

ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
सिमरोल	1/1 पार्ट	0.105
	19/4/2 पार्ट	0.035
	19/4/3 पार्ट	0.085
	19/4/4 पार्ट	0.165
	122 पार्ट	0.065
महायोग		0.455

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32, बड़वाह, जिला खरगोन (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 790-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—इन्दौर
(ख) तहसील—(महू) डॉ. अम्बेडकर नगर
(ग) ग्राम—सिमरोल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.215 हेक्टर.

ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
सिमरोल	947/6 पार्ट	0.075
	947/7 पार्ट	0.140
महायोग		0.215

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32, बड़वाह, जिला खरगोन (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 7 मार्च 2013

क्र. 540-भू-अर्जन-नहर-2013-प्र.क्र 35/अ-82/2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है

कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—अंजड
(ग) ग्राम—बावडिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.357 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
3/3, 3/4, 3/5	0.497
41/1	0.013
48/4, 49/4	0.340
51/4	0.072
60/1	0.125
51/2	0.100
60/4	0.003
60/5	0.050
60/6	0.146
60/7	0.081
62	0.012
80/3, 81/1	0.110
81/2, 83/4	0.283
86/1, 88/1	0.032
86/2, 88/2, 89/2	0.186
86/3	0.081
93/2	0.012
94/2	0.184
94/4	0.079
94/5	0.132
94/6	0.050
103/2	0.011
103/3	0.320
103/4	0.101
110, 111/1, 111/2	0.038
112, 113,	0.299
117, 118	
योग	3.357

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की तलवाड़ा वितरण शाखा एवं माईनर नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(1)

(2)

खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित रकबा (हे. में.)	(1)	(2)
			1165	0.765 0.166
			1168	0.036 0.036
			1172	0.422 0.077
			1177	0.555 0.050
			1188	0.097 0.005
			1189	0.109 0.050
			1190	0.324 0.096
			1192	0.307 0.062
			1206	0.332 0.064
			1212	0.773 0.147
			1284	0.380 0.045
			1288	0.890 0.160
			1294	0.206 0.064
			1297	0.405 0.070
			1298	0.959 0.187
			1322	0.146 0.040
			1375	0.178 0.038
			1383	0.024 0.010
			1387	0.324 0.102
			1411	0.081 0.005
			1429	0.146 0.065
			1436	0.741 0.102
			1437	0.575 0.060
			1438	0.081 0.035
			1440	0.105 0.010
			1442	0.571 0.083
			1446	0.336 0.025
			1455	0.073 0.019
			1544	0.413 0.035
			1551	0.053 0.053
			1568	1.048 0.215
			1574	1.129 0.290
			1584	0.551 0.030
			1585	0.696 0.202
			1587	0.547 0.010
			1589	0.840 0.025
			1636	0.081 0.005
			1637	0.454 0.202
			1639	0.668 0.128
			1641	0.229 0.015
			1852	1.032 0.070

छतरपुर, दिनांक 19 मार्च 2013

प्र. क्र. 25-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—लवकुशनगर

(ग) ग्राम—अक्टौहां

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—14.817 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

कुल रकबा

अर्जित रकबा

(हे. में.)

(हे. में.)

(1)

(2)

264

1.125

0.118

442

0.324

0.005

467

0.348

0.065

518

0.510

0.005

713

1.878

0.050

724

0.802

0.025

725

0.930

0.030

727

0.737

0.015

771

1.315

0.020

1023

0.190

0.058

1030

0.482

0.035

1031

1.165

0.211

1032

0.393

0.090

1050

0.862

0.173

1051

0.129

0.051

1062

0.849

0.173

1069

0.275

0.032

1135

0.910

0.035

1146

0.202

0.058

1150

0.381

0.102

1151

0.579

0.115

1153

1.145

0.015

1159

1.299

0.166

(1)	(2)		(1)	(2)	
1924	0.914	0.173	1178	0.049	0.005
1924	0.914	0.030	1184/1	0.008	0.008
1925	1.437	0.040	1193/1	0.194	0.052
1931	1.121	0.346	1196/1	0.206	0.042
1932	0.186	0.040	1197/1	0.080	0.058
1938	0.817	0.163	1207	0.283	0.010
1939	0.547	0.096	1210, 1211, 1184/2	1.254	0.165
1941	0.632	0.077	1218	0.182	0.015
1946	1.084	0.288	1285/1ख	0.193	0.030
1947	0.769	0.154	1285/1क	0.405	0.070
1948	0.291	0.067	1285/2	0.192	0.030
1963	1.437	0.123	1289/2	0.405	0.051
1964	1.437	0.067	1289/4	0.243	0.090
1016/1	0.178	0.013	1295/1	0.150	0.045
1016/1	0.178	0.005	1296/1	0.405	0.030
1016/2, 1012/1	0.393	0.038	1299/1	0.036	0.020
1018	0.247	0.032	1319/1	0.227	0.010
1019/2 शा.नं. 1021, 1022	0.299	0.010	1320/2	0.020	0.005
1024/1	0.251	0.050	1320/3	0.024	0.005
1024/2	0.235	0.005	1321, 1293/2, 1320/1	0.360	0.128
1026	0.223	0.096	1372/1	0.194	0.042
1027, 1028, 1029	0.445	0.060	1372/2	0.194	0.042
1060/2	0.121	0.005	1373/1	0.073	0.018
1067	0.251	0.015	1374/2	0.020	0.020
1070/2	0.283	0.038	1382, 1379	0.765	0.055
1070/3	0.291	0.122	1384/2	0.300	0.050
1070/4	0.316	0.040	1385/2	0.127	0.055
1072/5 शा.नं. 1074/2	0.526	0.010	1386	0.016	0.005
1075	0.518	0.080	1388	0.080	0.005
1076	0.425	0.112	1426, 1427	0.283	0.096
1129 शा.नं. 1289/6ख, 1290/7	0.842	0.025	428/1	0.084	0.005
1136/2, 1137, 1138/2	0.551	0.080	1441/1	0.061	0.023
1158/1	0.233	0.045	1441/2	0.020	0.010
1160/2/2 शा.नं. 1162, 1164	0.100	0.015	1452/1	0.338	0.083
1166			1452/2	0.330	0.077
1163	0.282	0.005	1453/1	0.067	0.005
1166, 1160/2/1, 1160/2/2	1.502	0.045	1454/1	0.127	0.025
1170/1	0.421	0.035	1545/1	0.022	0.005
1170/2	0.397	0.080	1545/2	0.023	0.015
1174/1	0.202	0.035	1546/1/2	0.751	0.125
1176/2	0.081	0.061	1552	0.041	0.015

(1)	(2)		(1)	(2)	
1571, शा.नं. 1572, 1573	1.522	0.235	2067/2	0.497	0.010
1575/1	0.394	0.130	2069/1/2	0.428	0.090
1586/1	0.279	0.115	233/1	0.264	0.050
1586/2	0.558	0.115	233/2	0.577	0.105
1594	0.429	0.010	234/2	0.405	0.090
1595/1	0.265	0.005	252/2/1, 263/1	0.354	0.005
1624/1	0.746	0.153	252/2/3, 263/3	0.515	0.110
1624/2	0.565	0.005	253/2	0.647	0.130
1625/1	0.101	0.070	254/2	0.546	0.116
1625/2 शा.नं. 1640/2	0.045	0.010	265/1/1	0.311	0.068
1625/2+1640/2/2	0.030	0.025	265/1/3	0.757	0.045
1626, 1627	1.010	0.019	266/1/1	0.179	0.090
1629/2	0.101	0.025	266/2	0.559	0.045
1629/3	0.101	0.019	443 शा.ख.नं. 444	0.927	0.080
1630/1 शा.नं. 1631/2	0.352	0.060	445 शा.ख.नं. 446	0.446	0.005
1630/2, 1631/1	0.437	0.025	459, 460, 461	0.995	0.198
1635/1 1635/2	0.534	0.192	529, 530/2	0.624	0.010
1635/4	0.324	0.115	531, 533/3	0.636	0.144
1648/1,1639,1640/1	0.668	0.160	666/1, 667/1	0.686	0.275
1648/2 शा.नं. 1659	0.073	0.020	668/2	0.393	0.078
1648/3 शा.नं. 1648/4	0.041	0.041	677, 678, 721, 722	2.355	0.030
1650/1	0.050	0.005	679, 680	0.563	0.126
19/2	0.089	0.032	682, 686/1	0.611	0.116
1926/1/1	0.584	0.192	683, 684	0.660	0.176
1926/2/1	0.373	0.144	718/1	0.795	0.020
1940/1	0.271	0.048	718/2	0.540	0.018
1940/2	0.360	0.038	723/1	0.797	0.030
1942/2	0.640	0.096	723/2	0.785	0.030
1942/2	0.153	0.015	723/3	0.793	0.010
1949 शा.नं. 1947	0.769	0.015	775/3	0.825	0.040
1958/1/ख 1958/2/ब	0.317	0.067	998	0.304	0.060
1958/1/क 1958/2/अ	0.317	0.067	999/4, 1000	0.547	0.025
1958/1/ग 1958/2/स	0.318	0.067			
1959/1	0.012	0.012			
1960/1, 1960/2	1.490	0.298			
1965/1/1	0.429	0.150			
1965/2/2	0.304	0.010			
1965/3	0.987	0.173			
1966/2	0.358	0.080			
1968/1	0.282	0.058			
2067/1	1.438	0.010			

योग : 14.817

(2) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत शाखा/उपशाखा/ माइनर नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शों (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.